28/97

ICIMOD

सामुदायिक वानिकी जीवन की भाषा

प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक वानिकी उपभोक्ता समूह कार्यशाला का वृतान्त

आयोजक

अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)

तथा

एफ.ए.ओ. का वन पौधों तथा मानव कार्यक्रम द्वारा आयोजित

२२ - २७ मई, १९९५

काठमाण्डू

©सर्वाधिकार, १९९७

अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र

ISBN 92 0115 757 0

प्रकाशक
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
पोष्ट बक्स नं. ३२२६
काठमाण्डू, नेपाल

टाईप डिजाइन
इसिमोडका प्रकाशन इकाई

The views and interpretations in this paper are those of the author(s). They are not attributable to the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and do not imply the expression of any opinion concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

सामुदायिक वानिकी जीवन की भाषा

प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक वानिकी उपभोक्ता समूह कार्यशाला का वृतान्त

आयोजक
अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)
तथा
एफ.ए.ओ. का वन पौधों तथा मानव कार्यक्रम द्वारा आयोजित
२२ - २७ मई, १९९५
काठमाण्डू

भूमिका

सामुदायिक वानिकी:

'सामुदायिक वानिकी' 'जीवन की भाषा' इस पत्र का यह शीर्षक कार्य गोष्ठी में भाग लेनेवाले एक सहभागी की अभिव्यक्ति है । सहभागी के अनुसार सामुदायिक वानिकी पर्वतीय विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जीवन और जीविका उपार्जन एक दूसरे से जुडे हैं । हिन्दू कुश-हिमाली के वन क्षेत्र तथा उनके उत्पादन एक विशाल स्रोतका कार्य करते हैं । पर्वतीय क्षेत्र मे ये वन स्रोत घर चलाने मे एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ।

इस सन्दर्भ मे सहभागी वन संगठन हिमालय में एक वन स्रोत के मुख्य संगठन के रुप में उभर कर आये हैं । वानिकी के विस्तार के संदर्भ में जब हम सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्य की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि सामुदायिक वानिकी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं, पुरुषों तथा महिलाओं को उनके वन अधिकारों से अवगत कराया, पर्वतीय महिलाओं तथा पुरुषों को इन वन संगठनों में आगे रखा है । प्रजातन्त्र एवं विकेन्द्रीकरण ने ऐसे नए आयाम और अवसर प्रदान किए हैं, जिससे यह प्रतिबिम्बित होता है कि किस तरह की कार्य प्रणाली अपनायी जाए जो समुदाय स्तरीय संस्थाओं की आन्तरिक कार्य क्षमताको उभार सके और ये संस्थाएं वन विकास के लिए महत्वपूर्ण गाडी के रूप में वृद्धोन्मुख हो सके ।

यही उद्देश्य लेकर इसिमोडने F.A.O. और WATCH के सहयोग से प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक वानिकी उपभोक्ता समूहकी कार्य गोष्ठी की आयोजना की । इस ६ दिन की कार्यगोष्ठी ने सामुदायिक वानिकी व्यवस्थापन से प्रत्यक्ष रुप से संबद्ध हिन्दू कुश-हिमाली क्षेत्र के देश, थाईलैण्ड और फिलीपिन्स के महिला तथा पुरुषोंको एक मंच पर एकत्रित किया ।

कार्यगोष्ठी के सहगागियों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्धों पर विचार किया जिससे सामुदायिक वानिकी स्थायी पर्वतीय विकास में प्रभावकारी प्रक्रिया के रुप में उभरें । ये मुद्धे थे "ऐसी सरंचना बनाना जो स्थानीय संगठनो को मजबूत करे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तालमेल ठीक करना जिससे ज्ञान आदान प्रदान हो सके, अपने अधिकारों के लिये तर्क करें, अपने अधिकारों की रक्षा की चेतना जागृत करना, और नीतियों पर सामुदायिक संस्थाओं का प्रभाव । ऐसे संगठन या संरचना की स्थापना जो महिलाओं तथा गरीबों को प्राकृतिक स्रोतों पर ज्यादा हक दिला सकें । महिलाओं तथा गरीबोंद्वारा संचालित संगठन आदि विशेष रुप से लिए गए ।

इस सभा में केवल एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बाटंने का अवसर ही नही मिला वल्कि बहुत सारे संरचनात्मक मुद्दे भी सामने आये, भविष्य के लिये विभिन्न नीतियों की संरचना हुई । बहुत सारे निर्णय लिये गये साथ ही सामुदायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि ही इन कार्य प्रक्रियाओं को रेखांकित करने में अगुवा रहे । विभिन्न देशों के सहभागियों ने नयीं संस्थांओं की संरचना का सुझाव दिया जो कि हालकी संस्थाओं की कार्य प्रणाली को सुदृढ कर सके ।

"इसिमोड" लगातार ऐसी गोष्ठियों को बढावा देता रहेगा । हमेशा हम प्राकृतिक संरक्षण और गरीबी निवारण के कार्य के लिये पहल करते रहेंगे । प्राकृतिक और आर्थिक मुद्दों को जोडकर हिन्दू कुश-हिमाली क्षेत्र के विकास के लिये अग्रणी रहना ही इसिमोड के लक्ष्य हैं । हमें विश्वास है कि यह कार्यगोष्ठी वर्णन, नीतिकारों,उपभोक्ताओं और सामुदायिक संस्थानो जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के साथ सम्बन्धित है, उनके लिये एक लाभदायक स्रोत का कार्य करेगा ।

अन्त मे मैं स्विस विकास परियोजना नेपाल, फोर्ड फाउन्डेसन नई दिल्ली, और दोलखा रामेछाप सामुदायिक वन विकास परियोजना को इस कार्यशाला गोष्ठी के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहुंगा ।

एगवर्ट पेलिन्क
महानिर्देशक

धन्यवाद ज्ञापन

इस कार्यशाला गोष्ठी में सात देशों के सामुदायिक संस्थाओं की महिलाओं और पुरुषों कें एक मंच पर लाया गया और कार्य गोष्ठी सात दिनों तक चली । अनगिनत संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने इस सभा को कार्यान्वित करने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया । प्रत्येक का नाम लेना वास्तवमें बडा कठिन काम है, परन्तु कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं।

सबसे पहले मैं धन्यबाद करना चाहुंगा श्री नारायण काजी श्रेष्ठका जो "वन, पेड और मनुष्य प्रोग्राम" वाच नेपाल, से हैं । इन्होनें इस कार्यगोष्ठी को आयोजन करने का विचार दिया और घन्टों देर रात गये तक कार्य किया । इन्होंने कार्य गोष्ठी के दौरान और पश्चात् भी जो सहयोग दिया उसके लिये मैं इनका आभारी हूं । इसके साथ ही मैं "वाच" (WATCH) के सारे सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिये धन्यवाद देना चाहुंगा ।

मैं केन्द्रीय टीम के सभी सदस्योंको जो इस कार्यगोष्ठी की प्रयोजना में सलंग्न थे जिन्होने अपना बहुमूल्य योगदान दिया उनका धन्यबाद करता हूं । मै श्री हुकुम सिंह, नेपाल आस्ट्रेलिया सामुदायिक वन परि योजना, धनेन्द्र काफले, नेपाल यू. के. सामुदायिक वन परियोजना, और पैट्रिक रोविन्सन और खगेन्द्र सिग्देल, दोलखा रामेछाप सामुदायिक वन विकास परियोजना स्वीस विकास सम्बन्धित, नेपाल, का विषेश आभारी हूं ।

कोर वीर जो समपद सदस्य हैं (एशिया समन्वयक) वन, पेड तथा मानव कार्यक्रम के जिन्होंने थाईलैण्ड और फिलीपीन्स के सहभागियो आर्थिकों सहायता की ।

मै धन्यवाद करता हूं "चौतारी" पत्र कों जिसने प्रत्येक दिन के समाचारों को लोगों तक पहुंचाया । मैं, धन्यवाद, करुंगा मोहन मैनाली, ध्रुव बस्नेत, मोहन विष्ट, हस्त गुरुङ, रमेश धमाल और प्रमेश भण्डारी आदि पत्रकारों को जिन्होंने इस कार्य गोष्ठी के समाचारों को एक चलचित्र का रूप दिया ।

यहां पर मै मजुंल नेपांल का नाम विशेषकर लुंगा जिन्होनें सांझ को नाच गानों और कवितायों का आयोजन किया जिनके गीत में प्रत्येक देश के वासी अपने हरेक प्रकार के भेदभाव भूलकर लीन हो गये थे, सबने नाच गान में भाग लिया । मैं "सर्वनाम" का भी धन्यवाद करुंगा जिसने सडक नाटक का आयोजन किया विशेषकर कार्य गोष्ठी सहभागियों के लिये ।

अनुवाद करने, प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षणको कागज पर उतारने की चुनौती जुडिथ, निवेदिता मिश्रा, राजीव सिंह, शशी खड्गी, किरण बस्नेत और त्रिभुवन पौडेल ने ली । इन लोगो के सहयोग के बिना इस गोष्ठी का वर्णन करना असम्भव था ।

मै विशेष तौर पर बूढानीलकण्ठ के प्रिन्सीपल का आभारी हूं, जिन्होने हमे अपने सुन्दर भव्य स्कूल आवास में इस गोष्ठीकी आयोजना की अनुमति दी, साथ ही मैं स्कूल के ले. क. बी. जे. शाह बरसर तथा अन्य स्टाफ का भी आभारी हूं, जिन्होने हमे सहयोग दिया इनके सहयोग के बिना यह सब सम्भव नहीं था ।

मेरे लिये यह बहुत कठिन है कि मैं अपने इसिमोड के सारे कार्य सहयोगियों का नाम ले सकूं, योजना के लिये मै समीर कार्कीको, रीता राणा और गोबिन्द श्रेष्ठ को संचालन और कार्यालय सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहुंगा । इन सबके अलावा मैं धन्यबाद करुंगा प्रशासनिक विभाग को जिनके सहयोग के बिना ये कार्य गोष्ठी सम्भव नहीं थी । सबसे अन्त में मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रकाशन विभाग का जिसने इस पत्रको प्रकाशित करने में सहायता दी ।

अनुपम भाटिया

क्षेत्रीय प्रबन्धक

विषय सूची

परिचय १

परिचय ३
सहभागी ३
कार्यगोष्ठी प्रक्रिया ३
कार्यगोष्ठी संचार ४
प्रस्तुतीकरण ४

प्रारम्भ सत्र ५

पंजीकरण, पूर्वस्थिति, विज्ञापन सत्र ७
प्रारम्भिक सभा सत्र ७
अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समूह ७
अनौपचारिक उद्घाटन ८
औपचारिक उद्घाटन ८

सभा सत्र १३

कार्य समूहका बृतान्त १५
कार्य समूह - एक १५
कार्य समूह - दो १७
कार्य समूह - तीन १८
कार्य समूह - चार २०
सर्वनाम सडक नाट्य समूह २२
क्षेत्रीय भ्रमण २३
देश समूह की प्रस्तुतीकरण २३
फिलिपिन्स २३
थाईलैण्ड २६
भूटान २८
पाकिस्तान २९
भारत ३१
नेपाल ३४

संयुक्त सत्र ४३

भविष्यकी चुनौतीयां ४५
कार्य समूह समर्थन तथा सूत्रीकरण ४५
निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढावा देने के उपाय ४८
नीतियाँ, नियम, उपनियम लागू करने के उपाय ५१
देश कार्य प्रणाली तथा उपाय ५३
पाकिस्तान ५३
भूटान ५४
थाईलैण्ड ५५
फिलिपिन्स ५६
भारत ५६
नेपाल ५९
अन्तिम सत्र ६२

परिशिष्ट ६५

परिचय

परिचय

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के वन स्रोतों के स्थायी व्यवस्थापन के लिए "सहभागी वन व्यवस्थापन" एक विकल्प के रुप में उभरा है । वनों में अपने हकों को जताने, वनों की सुरक्षा करने, अपने वातावरण का अच्छे ढंग से प्रबन्ध करने तथा पर्यावरण नियन्त्रण करने में गांव स्तरीय सामुदायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है । प्राणी केन्द्रित स्रोत प्रबन्धक नीतियां, अब उठकर केन्द्रीय स्थानों तथा विभिन्न विकास के क्षेत्रों में उभरकर ऊपर आयी हैं और सफल हुई हैं ।

वन व्यवस्थापन में सामुदायिक संस्थाओं के कार्यकलापों की पहचान कर पूर्व पर्वतीय विकास का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (इसिमोड, एफ. ए. ओ. की सहभागिता से और वन, पेड और मानव कार्यक्रम (FTPP) ने पहली क्षेत्रीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह की कार्यगोष्ठी की आयोजना की । इस कार्यगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक प्राकृतिक स्रोतों से सम्बन्धित संगठनो तथा व्यक्तियों को गतिमान करना ताकि वे अपने अनुभव एक दूसरे से बांट सकें और भविष्य के लिये नयी नीतियों का निर्माण कर सकें ।

कार्य गोष्ठी का आयोजन २२-२७ मई १९९५ तक बुढानीलकण्ठ स्कूल काठमांडू नेपाल में हुआ जिसमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, थाईलैण्ड, फिलीपीन्स और भूटान के वन उपभोक्ता समूहों ने भाग लिया । यह अपनी तरह की पहली गोष्ठी थी जिसमें विभिन्न देशों के उपभोक्ता समूह एक मुख्य मुद्दे पर एक जुट होकर काम कर रहे थे । जिसमें समुदाय सदस्य मुख्य भूमिका निभा रहे थे नकि वे गोष्ठी के विषय थे । इस कार्य गोष्ठी ने प्रत्येक वन उपभोक्ता संगठन को हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में पाये जाने वाले स्रोत पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

सहभागी

६ देशों के कुल ७७ लोगों ने इस गोष्ठी में हिस्सा लिया । भाग लेने वालों में मुख्यत: वन उपभोक्ता समूह के सदस्य , महिला समूह, कुछ गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक संगठन थे । इनमें ४३ सहभागी नेपाल से, २३ भारत से, ५ पाकिस्तान से, ३ थाईलैण्ड से, २ फिलीपिन्स से और १ भूटान से थे ।

इन सहभागियों में से एक तिहाई से अधिक महिला सहभागी थी । १६ नेपाल से, ८ भारत से, ३ पाकिस्तान से और १ फिलीपीन्स से । महिला सहभागियों को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहन मिला । गैर-सरकारी तथा उपभोक्ता समूहों को जो निमन्त्रण पत्र भेजा गया था उसमें लिखा था कि ३ निमन्त्रकों में २ निमन्त्रक महिला हों । बच्चो की देखभाल के लिये अलग व्यवस्था की गई थी ताकि अधिक से अधिक महिला सहभागी भाग ले सकें ।

कार्य गोष्ठी प्रक्रिया

कार्य गोष्ठी अधिक से अधिक सहभागी मूलक बनाने के लिए एक कार्य रेखा पहले से ही तैयार की गई थी । चार तरह के वाद विवाद का आयोजन किया गया था । अनुभवों के आदान प्रदान के लिए

अन्तर्देशीय कार्य समूह, आशाओं का प्रतिपादन और इन सबके निष्कर्ष स्वरुप भविष्य की योजना का रेखांकन, वाद विवाद से उत्पन्न समीक्षाओं के लिए संयुक्त सत्र, राष्ट्रीय प्रस्तुती और राष्ट्रीय भविष्य कार्य योजना के लिए राष्ट्रीय समूह, प्रस्तुती, प्रश्नोत्तर और सामुहिक विचार विमर्श के लिए सभा सत्र।

क्योंकि सहभागी विभिन्न क्षेत्रों से थे इसलिये सभा और समूह सत्रों के लिये नेपाली हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया । विभिन्न दुभाषियों की सहायता भी ली गयी जो इन भाषाओं में दक्ष थे।

पहले सत्र को छोडकर जिसमें राष्ट्रीय प्रस्तुती की गई थी और इसमें दो तीन भाषाओं में अनुवाद हुआ था बांकी का भाग हिन्दी और नेपाली में हुआ जिसमें अनुवादक श्रोताओं के बीच में बैठे थे । यह व्यवस्था एक दम कामयाव हुई और दूसरे कार्य समूहों में भी यही ब्यवस्था रही ।

कार्य गोष्ठी संचार

कार्य गोष्ठी में होने वाले संवादो, वादविवादों और घटनाओं को एक दूसरे के साथ बांटने के लिये एक पूर्ण व्यवस्थित कार्यालय उपलब्ध था । सब समाचार ८० सहभागियों तक पहुंचाने के लिये एक दीवार पत्र, चौतारी की आयोजना की गयी जो हिन्दी, नेपाली तथा अंग्रेजी में थी । यह समाचार पत्र सहभागियों में बडा प्रिय हुआ । इसमें केवल समाचार ही नहीं थे बल्कि हंसी मजाक, शिकायतें और सुझाव भी थे ।

प्रस्तुतीकरण

इस सात दिन चलने वाली कार्य गोष्ठी को समेट्ने के लिये एक फिल्म यूनिट भी था । इस फिल्म यूनिट ने ८०० मिनट की एक फिल्म बनाकर कार्य गोष्ठी के विभिन्न भागों को अपने कैमरे में कैद किया। इस फिल्म मैं ३० सहभागियों के साथ अर्न्तवार्ता ली गई हैं । कार्यशाला गोष्ठी में हुए वादविवाद से सम्बन्धित दो फिल्म बनाने का लक्ष्य है ।

प्रारम्भ सत्र

पंजीकरण, पूर्वस्थिति, विज्ञापन सत्र

पहला दिन
मई २१, १९९५
इतवार

सहभागी इतवार २१ मई सुबह को आने लगे । पंजीकरण के बाद प्रत्येक सहभागी को एक स्थानीय कला के नमूने के रुप में गद्दी तथा कपडे का बैग दिया गया जो वे कार्यगोष्ठी में प्रयोग कर सकते थे और बाद में गोष्ठी की यादगार स्वरुप एक छोटा उपहार घर ले जा सकते थे । बुढानीलकण्ठ स्कूल के विषय में सूचना तथा नक्शा तीन भाषाओं में उपलब्ध था ।

सहभागियों ने विज्ञापन पत्र तैयार किये जो वन के विभिन्न पक्षों तथा क्रियाओं पर आधारित थे, विज्ञापन पत्रों को मुख्य भवन में लगाया गया ।

इसके बाद सारे सहभागी काठमांडू घूमने गये वापिस आने के बाद सभी ने एक दूसरे से विस्तार में अपना परिचय कराया । सत्र देर रात गये तक चलता रहा ।

प्रारम्भिक सभा सत्र

दूसरा दिन
मई २२, १९९५
सोमवार

पहला प्रारम्भिक सभा सत्र सोमवार दोपहर को प्रारम्भ हुआ । इसमें परिचय कार्य गोष्ठी की आयोजना का उद्देश्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया । वन स्रोतों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में सामुदायिक समूहों के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान कर समुदाय आधारित वन व्यवस्थापन में संलग्न महिला एवं पुरुषों को अपने अनुभवों को बांटने, एवं भविष्य के लिए योजना आदि तैयारकरने के लिए एक मंच प्रदान करना ही इस कार्याशाला गोष्ठी का मुख्य उद्धेश्य था । हालांकि वन विभाग के कर्मचारी तथा गैर-सरकारी संस्थायें क्षेत्रीय कार्यकलापों में भाग लेते हैं, परन्तु गांव स्तर के उपभोक्ता समूहों को शायद ही कभी ऐसा अवसर मिलता हो । तदर्थ इस कार्य गोष्ठी को यह सिद्ध करना था कि गांवो के समूह भी स्रोत संगठन की जिम्मेदारी लें सकते हैं । एक और उद्धेश्य था विभिन्न क्षेत्रों को आपसमें मिलाना । इस कार्याशाला गोष्टी में इस बात का स्पष्ट रुप से प्रावधान था कि सहभागी स्वयं ही अपनी अपेक्षाओं और कार्यान्वयन का प्रतिनिधित्व करें ।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समूह

इसके बाद कार्य गोष्ठी के प्रथम कार्य के रुप में सहभागियों को चार समूहों में बांटा गया । इसमें सबसे पहले प्रत्येक सहभागी कार्य गोष्ठी के दौरान किस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते है? इस पर विचार किया गया, फलस्वरुप तीन मुख्य मुद्दे सामने आयें ।

- परिचय
- कार्य गोष्ठी से आशाएं ।
- समूह स्रोतों की पहचान और बांटने योग्य योगदान ।

समूहों में विभिन्न स्थानों के सहभागी थे । प्रत्येक समूह विभिन्न देशों के सहभागियों का एक अच्छा समूह था, जिसमें स्त्री पुरुष दोनो थे साथ ही उपभोक्ता समूह के सदस्य और सामुदायिक संगठन के व्यवस्थापक भी थे ।

वास्तव में यह प्रक्रिया कुछ घन्टों की थी परन्तु कुछ समूह देर रात गये तक व्यस्त रहे । प्रत्येक सहभागी ने अपने संगठन की कार्यनीति, नियमों में विभिन्नताओं और समस्यायें पर देर तक कार्य करते रहें और अगले दिन के प्रस्तुती के लिए पत्र तैयार करते रहे ।

अनौपचारिक उद्घाटन

एक अनौपचारिक उद्घाटन मात्र सहभागियों के लिये था जो सांयकाल सरस्वती मन्दिर, जो कि बुढानीलकंण्ठ स्कूल के प्रागण में स्थापित हैं, में शुरु हुआ । मन्दिर और उसके आसपास नेपाली शैली में मोमबत्ती जलायी गयी तथा फूलों से सजाया गया । शिक्षा को जगाने तथा सौहार्द्यपूर्ण वातावरण के लिये प्रत्येक सहभागी को लैम्प जलाने के लिये आमन्त्रित किया गया । प्रत्येक सहभागी ने फूल चढाये और कार्य गोष्ठी की सफलता की कामना की । सहभागी इस प्राचीन परम्परा से प्रसन्न और प्रभावित हुए । मन्दिर पेडों के झुन्ड के बीच स्थापित है और चारों तरफ रगं विरंगे फूल लगे हैं । कार्य गोष्ठी का शुभारम्भ समारोह एक अच्छा प्रारम्भ था ।

तीसरा दिन
मई ३३, १९९५
मंगलवार

औपचारिक उद्घाटन

माननीय मन्त्री वन तथा भू-संरक्षण, नेपाल, श्री सलीम मियां अन्सारी के आगमन से विधिवत उद्घाटन हुआ मन्त्रीजी के साथ अन्य उच्च अधिकारी भी मन्त्रालय से आये थे । श्री सेमाई चौधरी, सुन्सरी से जिनका वनीकरण में बहुत बडा सहयोग हैं और जो वन जगत में अपने कार्यों के लिये प्रसिद्ध हैं वे उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष थे ।

अभिनन्दन भाषण - श्री एगवर्ट पेलिन्क महानिर्देशक (इसिमोड)

श्री एगवर्ट पेलिन्क ने अपने अभिनन्दन भाषण में कार्य गोष्ठी के अनूठेपन पर जोर दिया । उन्होने कहा कि हांलांकि नेपाल कई सालों से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है अपनी सामुदायिक वन नीति के कारण, लेकिन इन सब नीतियों को लागू करना अभी बांकी है । श्री पेलिन्क ने कार्य गोष्ठी के सारे सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया और कहा कि उन्होंने अपने कार्यों से यह प्रमाणित कर दिया कि सामुदायिक वन संस्थायें एक प्रभावकारी संस्थाए हैं और ये हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सफल हो सकती हैं ।

श्री पेलिन्क ने कहा कि सहभागी वन व्यवस्थापन के नये युग में आगे हैं इसलिये इनका कार्य गोष्ठी में आना महत्वपूर्ण हैं । उन्होनें कहा कि सुदूर गांव के वासी यंहा इस कार्य गोष्ठी के विषय नहीं है बल्कि वे तो इस गोष्ठी मे मूख्य भूमिका निभाएंगे । श्री पेलिन्क ने सहभागियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में हिमालय के वनोंको बढाने के लिये इसिमोड नयी नीतिंयो को लागू करेगी, और वनों के विस्तार और संरक्षण के लिये नये आयाम बनेगें ।

इसिमोड के कार्यों पर टिप्पणी करते हुये उन्होंने कहा कि, हमारी दोहरी नीति है, प्राकृतिक संरक्षण तथा गरीबी निवारण । उन्होने फिर कहा वातावरण को आर्थिक पहलु से जोड्ने से हम हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के विकास में कुछ हासिल कर सकते हैं । विभिन्न देशों को इकट्ठा करना इसिमोडका

मुख्य मुद्दा था और विभिन्न देशों के सहभागी इस बात के प्रतीक हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसिमोड वन सरंक्षण की ओर तत्पर है । उन्होने थाईलैण्ड ओर फिलीपिन्स के सहभागियों का स्वागत किया ।

श्री पेलिन्क ने कहा हालांकि प्रत्येक हिमाली देश की अपनी सफल नीतियां हैं जो लोगो को वन संगठन के लिये उत्साहित करती हैं, परन्तु उन्हे इस बात की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग वनों का प्रयोग करें, वन स्रोतों का लाभ उठायें, वनों के सरंक्षण में योगदान दें , और वन व्यवस्था में सहयोग दें । आम स्तर पर मानव उपयोगी नीतियों का निर्धारण हो और जिसके लिये उपयुक्त संस्थायें बनायी जायें । श्री पेलिन्क ने जोर दिया कि इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण तभी सम्भव है, जबकि हम उपभोक्ता समूहों से सम्पर्क करें उनके विचार जाने उनकी सलाह लें एवं उनसे सहयोग लें । इस गोष्ठी का आयोजन इस प्रक्रिया का आरम्भ है, हमें आशा है कि यहां जो नीति निर्धारण होगा उसे भविष्य में लागू किया जायेगा ।

श्री पेलिन्क ने कहा कि सहभागियों के विचार और संस्तुती न केवल इसिमोड के सदस्य देश बल्कि अनसेड का एजेन्डा न. २१, भाग १३, जो विश्व पर्वतीय विकास से सम्बन्धित है, के लिये भी लाभदायक होगें ।

श्री पेलिन्क ने माननीय मंन्त्री वन तथा भू-सरक्षंण का धन्यवाद किया और कहा कि माननीय मंत्री जी की सहभागिता नेपाल में मानव आधारित वानिकी के प्रति श्री ५ के सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है । उन्होने 'फोर्ड फाउन्डेशन' दिल्ली का भी धन्यवाद किया जिसने इसिमोड को इस कार्य गोष्ठी को सफल बनाने में सहायता दिया । उन्होने "स्विस विकास सहयोग" नेपाल, को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये धन्यवाद दिया । उन्होने बुढानिलकंण्ठ स्कूल के प्रबन्धक समिति, प्रिंसिपल तथा शिक्षकों और कार्यकर्ताओ का भी धन्यवाद किया । उन्होने WATCH को भी धन्यवाद किया जिसने इसिमोड के साथ मिलकर इस कार्य गोष्ठी को सफल किया ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री श्री सलीम मियां अन्सारीद्वारा उद्घाटन भाषण

माननीय मन्त्री जी ने कार्य गोष्ठी का विधिवत प्रारम्भ किया । उन्होने प्रबन्धकोंका धन्यवाद किया जिन्होनें उन्हें - प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्य गोष्ठी के सहभागियों को संबोधन करने का अवसर दिया । उन्होनें ने कहा कि नेपाल मे हाल के अनुभवोंसे यह ज्ञान होता है, कि वन व्यवस्थापन में लोगों की भागेदारी वन स्रोतों के स्थायी उपयोग के लिए आवश्यक थी । नेपाल के वन व्यवस्था कार्यक्रम में, उपभोक्ता समूह बनाकर उन्हे प्रोत्साहित करना, कार्य में लगाना और उन्हे वनों का एक भाग सौपना है । नेपाल की अधिकांश जनता वनों पर निर्भर हैं और ७५ प्रतिशत से अधिक लोग दैनिक इन्धन आवश्यकताओं के लिये वन स्रोतों पर निर्भर करते है । बढती हुई जनसंख्या के कारण वन स्रोतो पर दबाव पड रहा है । इस लिए स्थानीय लोगों की सहायता के बिना सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयास विफल हो जायेगें । नेपाल के सामाजिक आर्थिक ढांचे के कारण महिलाएं तथा गरीब, पूर्ण रुप से वन स्रोतों पर निर्भर करते हैं । ऐसा देखा गया हैं कि जो जो वनों के अंश महिला उपभोक्ता समूहों की देखरेख में हैं उनकी व्यवस्था और विकास अपेक्षाकृत अच्छा है । इसलिये भविष्य में अधिक से अधिक इन कार्यक्रमों में महिलाओं को सम्मिलित किया जायेगा ।

माननीय मन्त्री ने कहा कि प्रजातन्त्र के बाद नेपाल के वन कार्यक्रमों में शीघ्रता आयी है । एक नया "वन नियम" बनाया गया है, जो उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता करेगा । यह नियम उपेभोक्ता समूहों को वैध ठहराता है, और जो उनके वन स्रोतों पर कानूनी हक है, उनसे अवगत करता हैं । इस नियम में उल्लेख है कि जो भी आम्दानी सामुदायिक वन स्रोतों से होगी उसे गांव तथा सामुदायिक विकास के लिये प्रयोग किया जायेगा ।

मन्त्री अन्सारी ने कहा कि सामुदायिक वन कार्यक्रम वातावरण सुरक्षा तथा पर्यावरण सरंक्षण के लिये भी सहायक होंगे क्योंकि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक रचना इतनी मृदु है, कि एक साधारण मानव क्रियाकलाप भी उसे प्रभावित कर सकता है । इसलिए वन व्यवस्था तथा वन विकास को सर्वप्रथम महत्व देना चाहिये । मन्त्रीजी ने आशा व्यक्त किया कि यह कार्य गोष्ठी आपस में विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान मे सहायता करेगी जिससे भविष्य में नीति निर्धारण सुदृढ होगा । उन्होने ICIMOD, WATCH और सब संयोजकों का धन्यवाद किया और इस कार्य गोष्ठी की सफलता की कामना की ।

तत्पश्चात् भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों को बोल्ने के लिये आमन्त्रित किया गया -

कलावती देवी - उत्तर प्रदेश, भारत

श्रीमती कलादेवी ने कहा कि आज की स्थिति में नेपाल, भारत, पाकिस्तान जैसे देश पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं का सामना कर रहे हैं । वन स्रोतों का बचाव तथा विकास ही आजका मुख्य विषय है । महिलाओं को वन स्रोत सीधा प्रभावित करते हैं, वन स्रोतों की कमी उनके कार्यभार को और बढा देती है । इसलिये महिलाओं को वन लगाने, वन संरक्षण और वन स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये उत्साहित करना चाहिये, महिलाओं को इन कार्यो में बढावा देना चाहिये । महिलाओं ने वन विकास में एक मुख्य भूमिका निभायी है और अब यह जरुरी है कि महिला और पुरुष दोनो मिलकर वन संरक्षण का कार्य करें । हांलांकि, उन्होंने कहा, कि औरतों पर घरेलु कार्य का भार इतना होता है कि वह ऐसे सभाओं में, कार्यक्रमों में कम ही भाग ले पाती हैं ।

अली गोहर - पाकिस्तान

पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को कार्य गोष्ठी में आमन्त्रित करने के लिये श्री गोहर नें प्रबन्धकों को धन्यवाद किया । उन्होने कहा कि यह कार्य गोष्ठी निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होगी । उन्होने कहा कि यह एक अच्छा अवसर है हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुभवों से कुछ सीखनेका । उन्होंने फिर कहा कि हालांकि हमारे रहन सहन, संस्कृति भाषा आदि अनेक क्षेत्रों में विभिन्नतायें हैं, परन्तु वाद विवाद के दौरान मैने पाया कि हमारी कुछ समस्यायों के कुछ पहलु समान हैं । श्री गोहर ने ये सामुदायिक वनों को प्रोत्साहन देने के लिये श्री ५ को सरकार को बधाई दिया । उन्होने कहा कि ये सहभागी नेपाल की नीतियों और अनुभवों से अवश्य कुछ सीखेंगे । उन्होनें कहा कि इस सीख से पाकिस्तान तथा अन्य देशों को अपने देश में प्राकृतिक स्रोतों के विकास तथा व्यवस्थापन के लिये रुपरेखा बनाने में सहायता मिलेगी ।

जार्ज पेगलिनवान - फिलीपीन्स

श्री पेगलिनवान ने कहा हांलाकि फिलीपिन्स हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र का भाग नही हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की वन सम्बन्धी समस्यायें समान हैं । उन्होने कहा फिलीपीन्स के प्रतिनिधि आयोजकों के हार्दिक आभारी है कि उन्होने इस कार्य गोष्ठी में बुलाकर हमें सहभागियों से मिलने तथा अनुभव बांटने का अवसर दिया । श्री पेगलिनवान ने कहा फिलीपिन्स में भी पहाड हैं, जहां आदिवासी रहते हैं । यहां आकर देखने का उद्देश्य था किस प्रकार हिमालय क्षेत्र में वनों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित किया जाता है । उन्होनें कहा कि हांलाकि कार्य गोष्ठी में विभिन्न भाषाऐं बोली जा रही हैं परन्तु वन की भाषा एक है वो है "जीवन की भाषा" और यही हमारे बीच एक सामान्य बन्धन है ।

दिन- सिंग्टो - थाईलैण्ड

श्री सिंग्टो ने नेपाल, दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया के सभी साथियो की प्रशंसा की जो वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने, यहां आये हैं । उन्होनें कहा कि वह मछुआरों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं । थाईलैण्ड में वन मछुआरों को प्रभावित करते हैं । वह भी थाईलैण्डमें "सामुदायिक वन योजना लागू करने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास कुछ हद तक सफल हुये हैं और उन्होंने" सरकार का ध्यान गरीब मछुआरों की समस्याओं की ओर खीचा है ।

लक्ष्मी देवी खतीवडा - नेपाल

श्रीमती खतीवडा ने अपने वन उपभोक्ता समूह के अनुभव सुनाये । उन्होंने बताया कि एक बाढ में उनकी सारी फसले बह गई । उसके बाद वह और कुछ अन्य महिलाओं ने मिलकर कुछ पेड लगाये । उन्होने अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ घास कुछ पौधे लगाये हैं । महिलाओं ने सब काम अपने आप किया जिसमें उन्होने एक दूध इकत्र करने का और बेचने का केन्द्र भी खोला । इसमे जो आमदानी हुई उससे एक स्कूल खोला । अभी तक इस समूह को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है । श्रीमती खतीवडा ने अन्त में कहा कि क्योंकि महिलायें ही वन स्रोतों का अधिक उपयोग करती हैं, वही वन स्रोतों पर आश्रित हैं इसलिये वन नीति निर्धारण, और रुपरेखा निर्धारण में महिला सहभागियों को आवश्यकता अधिक है ।

पीताम्बर भण्डारी - नेपाल

श्री भण्डारी ने इसिमोड को "पहली दक्षिण एशिया सामुदायिक वन कार्य गोष्ठी आयोजना" में उन्हें आमन्त्रित करने के लिये धन्यवाद दिया । उन्होंने वन स्रोतों की आवश्यकता पर अपने भावों को एक नेपाली कविताद्वारा व्यक्त किया, जिसका अनुवाद है :-

जंगल मनुष्य की जान हैं जो उसे शान्ति देते है जगंल के बांगों में कोयल तथा अन्य चिडिया स्वतन्त्र रूप से गाती हैं । जहां कही भी पर्वत है वहां शान्ति हैं । भेडिये, चीते, बाघ सब निडर घुमते हैं । वनों के नीचे शुद्ध शीतल जल है । वनों में सब्जी है फल हैं लकडहारे और आदिवासी निडर घुमते

हैं, हर कोई प्रसन्न है जीवन से भरा है । पहले केवल सरकार वनों की सुरक्षा करती थी अब उपभोक्ता जगंलो को उजाड रहे हैं । वन संरक्षक और सरकार फेल हो गई । अब उपभोक्ता समूह एकत्र होकर जगंलो को सवांर रहे हैं बढा रहे हैं और अपने आप काट रहे हैं । अब हमें जंगलो को देखने दो, हमें हर दिशा में हरा बनाने दो जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सामुदायिक वन विकास हो हमें घास और चारा उगाना है केवल फल ही नहीं औषधि के पौंधे भी लगाने हैं हमे अपनी धरती पर चारों और हरियाली बिछानी है ।

अध्यक्ष सेमाई चौधरी - सुन्सरी नेपाल

श्री चौधरी आमंत्रित मेहमानों और देशों से आये सहभागियों के आगमन पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि मुझे आशा हैं कि नेपाल तथा अन्य देशों में सब तरफ हरियाली छा जायेगी ।

सभा सत्र

कार्य समूह का वृतान्त

सामान्य सभा सत्र दोपहर के खाने के बाद शुरु हुआ जिसमें चार कार्य समूहों ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता श्री पीयरमसाक माकाराभिरोन ने की ।

प्रस्तुती चार्ट तथा पोस्टर की सहायता से हुआ जिन्हें नेपाली तथा हिन्दी में अनुवादित करके बांटा गया ।

कार्य समूह - एक

इस समूह में १८ सदस्य थे, जिनमें ७ महिलायें और ११ पुरुष । १० लोग नेपाल से, ६ भारत से, १ भुटान से और १ फिलीपिन्स से । सभी सहभागियों ने अपने को तथा अपने कार्य समुहों और संगठनोंका परिचय कराया । सब ने आशा व्यक्त की कि यह कार्य गोष्ठी लाभदायक होगी ।

कार्य गोष्ठी से अपेक्षायें

- एक दूसरे के अनुभवों को बांटना तथा उनसे सीखना

  सब सहभागियों का एक ही लक्ष्य था कि वह प्रत्येक सहभागी से उसके अनुभव सुने तथा उससे सीखे कि वह अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है और उसके उपभोक्ता समूह का क्या कार्य हैं । श्री भीम लाल सुवेदी जो स्यांग्जा जिला से हैं, उन्होने बताया कि उनके उपभोक्ता समूह की स्थापना कैसे हुई । उन्होने आशा प्रकट की वह अन्य उपभोक्ता समूह जो नेपाल में हैं, और जो अन्य देशों में हैं उनसे कुछ सीखेंगे । श्री भीम प्रसाद श्रेष्ठ जो राम बजार उपभोक्ता समूह ओखलढुंगा से हैं, कहा कि उनके समूह को किसी भी दातृ संस्था से सहयोग नही मिला हैं, और वह बांकी समूहों की स्थापना कैसे हुई उनका व्यवस्थापन कैसा है, यह जानना चाहते हैं ।

  ऐसे ही और देशों के प्रतिनिधि जैसे डेनिस डेसमेन्ड भूटान तथा जर्ज पेगलिनवान फिलीपीन्स ने भी कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किये । उन्होने कहा कि फिलीपीन्स में उपभोक्ता समूह शब्द का कभी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि समुदाय कभी वन प्रयोग नहीं करता वन सदैव किसी और के पास रहते हैं ।

- वन व्यवस्था के लिये एक स्पष्ट नीति निर्माण का कार्य

  उपभोक्ता समूहों के कुछ सहभागियों ने कहा कि अभी वन व्यवस्था से सम्बन्धित सरकार की जो नीतियां और, नियम हैं, उनमें से कुछ नीतियों को मनुष्यों के हितों को देखकर नहीं बनायी गई हैं । सुझाव इस प्रकार थे, वनखेती, जडीबूटी उगाना, रेन्जर को ट्रेनिंग देना आदि । कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :-

- नीति बनाने में और लागू करने में उपभोक्ता समूहों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये ।
- वन उपभोक्ता समूह बनाने से पहले गांव वालों को उपभोक्ता समूहके लक्ष्यों तथा नीतियों को बताना चाहिये । व्यवस्थापन में गांव वालों को सहभागी बनाना चाहिये ।
- वन विभाग के आँफीसरों और उपभोक्ता समूहों के बीच सामंजस्य होना चाहिये कि किसी प्रकार का द्वेष झगडा न हो और खुशनुमा वातावरण हो ।
- एकबार जब जगंल की जमीन वन उपभोक्ता समूहों को सौंप दी जाये उसके बाद वन अधिकारी उसमें दखल न दें ।
- फैसला तथा नीति निर्माण में वन उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधियों को भी रखा जाये ।
- झगडों और मतभेदों को सुलझाने के लिये एक उपयुक्त कार्य प्रणाली हो ।
- वन नियम में स्थानीय जरुरतों और स्थितियों को नजर में रखते हुये कुछ ढील हों ।
- वन उपभोक्ता समूहों के कार्यकाल तथा उनके अधिकारों से उन्हें पूरी तरह अवगत कराया जाये।
- राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनो की स्थापना करना ।

सभी वन उपभोक्ता समूहों के बीच बातचीत के माध्यम की कमी के कारण एक दूसरे के साथ समस्या तथा सूचना बांटना सम्भव नहीं है । अधिकतर सदस्यों ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिये, श्री जी. राजू अहमदावाद ने कहा कि ऐसे संगठन से हम क्षेत्रीय समस्याओं को एक साथ सुलझा सकते है । ऐसे संगठन सब जगह से सूचना एकत्रित करे, और अनुभव एकत्रित करके विभिन्न वन उपभोक्ता समूहों के क्रियाकलापों को ढंग से नियोजित करें ।

- महिला वन उपभोक्ता समूहों के अनुभवों को बांटना तथा महिलाओं के योगदान को बढावा देना

कलावती देवी, चमोली यू. पी. भारत, जो कि पिछले १६ साल से अध्यक्ष हैं एक स्थानीय महिला मण्डल की, कहा कि:- अब महिलाओं ने सब संभाल लिया हैं, नीति बनना एवं वन व्यवस्था अधिक सुदृढ है । अब महिला समूह बहुत शक्तिशाली हैं । इस गोष्ठी के माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि और महिलायें अपने उपभोक्ता समूह में क्या करती हैं । लक्ष्मी देवी खतीवडा सप्तरी, नेपाल ने बताया कि उनका उपभोक्ता समूह "मालती महिला समूह" ने एक पौधों की नर्सरी खोली हैं परन्तु हम अभी तक बांध नहीं लगा पाये है । इसलिये हम उसकी देखभाल अपने आप करते हैं । अगर कोई जानवर चरने आता है तो हम उसके मालिक पर रु ५।- से रु ५१।- तक का जुर्माना करते हैं । हमने रु. १०।- प्रत्येक घर से लेकर एक प्राइमरी स्कूल खोला है मुझे अब ये अवसर मिला है कि मैं आकर देखूं कि अपने देश में और अन्य देशों में महिलायें क्या कर र ही हैं ।

उपभोक्ता समूहों के कार्यो में सुधार के लिये भी सुझाव दिये गये जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- बडा या छोटा सभी सदस्यों को समान अधिकार हो ।
- आमदनी बढाने के अवसरों मे. गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाए ।
- वन उपभोक्ता समूह के सदस्यों को तालिम दी जाए ।

कार्य समूह - दो

इस समूह में २१ सदस्य थे जिनमें ९ नेपाल से ७ भारत से, २ थाईलैण्ड से, २ पाकिस्तान से, और एक फिलीपिन्स से । इनमें ७ महिलायें और १४ पुरुष थे । समूह सदस्यों ने अपना परिचय दिया तथा अपने-अपने देश में लागू सामुदायिक वन नियमों को समझाया । चण्डीप्रसाद भट्ट, उत्तर प्रदेश भारत ने सुझाव दिया कि अनुभव सुनने से समूह सदस्य यह सीख सकते हैं कि हम लोगों को, कैसे सहभागी बना सकते हैं ? सहभागियों ने विभिन्न समस्याओं का विवरण भी दिया जो उनके समूह अपने देशों मे सह रहे हैं ।

कुछ मुख्य मुद्दे जो सामने आये उनमे से थे -

- सदस्यों के हितो को कैसे लचिला बनायें जबकि सरकारें और नीतियां बदलती रहती हैं ?
- उपभोक्ता समूहों के सदस्योंमें मतभेद जैसा कि शर्मिला कटवाल, ओखलढुंगा नेपाल ने एक उदाहरण द्वारा बताया कि एक बहुत प्रभावशाली उपभोक्ता समूह है उसका अध्यक्ष एक पुरुष है, जो उन्हे लगता है कि ढीठ है, और वो सारे पेड काटकर नये उगाना चाहता है, जब कि औरतें सिर्फ पुराने पेडों को काटना चाहती हैं ।
- उच्च वर्गों को वनों पर अधिकार जमाने से कैसे रोकें ?
- गैर-सरकारी संस्थानों को "सामुदायिक वन विकास क्षेत्र में" कार्य करने के लिये प्रशिक्षित करना क्योंकि गैर-सरकारी संस्था इस क्षेत्र में बहुत कम है ।

इस कार्य गोष्ठी से अपेक्षायें

- सहभागियों से उनके "प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन" के तरीके उनका "वन विधान" और वन नीतियों के बारे मे जानकारी लेना । सहभागियों ने यह अनुभव किया कि हमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, और विश्व के अन्य क्षेत्र में, प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन के विषय में और उनके वैज्ञानिक और वैधानिक आधार के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है ।
- पहाड तथा पहाड के लोगों की समस्याओं को पहचानना ।
- समस्या सुलझाने को प्राथमिकता देना और ये देखना भी कि भौगोलिक भिन्नता के साथ क्या समस्यायें भी भिन्न हैं ?
- वनों के विषय में और देशों मे जो क्रियाकलाप हो रहे है, उनकी सफलता, समस्यायें आदि के बारे मे सीखना ।
- प्राकृतिक श्रोतों के व्यवस्थापन की क्या आवश्यकता है, उस में क्या बदलाव किये जा सकते है और कि क्या एकीकृत विकास योजना के साथ कार्यकारी उपभोक्ता समूह बनाए जा सकते हैं, आदि विषय सें लोगों को अवगत कराना, एवं विचार विमर्श करना ।
- महिलाओं को वन सम्बन्धि संगठन में, क्रियाकलापों में बढावा देना, नीति निर्माण में उन्हें सम्मिलित करना ।

सहभागियों ने अपनी कठिनाईयां और अपने अनुभवों को जो उन्होंने समूहों मे झेला, सबके साथ बांटा

दिन सिंग्टो – थाईलैण्ड– उन्होंने मछुआरों के एक संगठन का विवरण दिया जो पिछले ३ साल से थाईलैण्ड में काम कर रहा है । उन्होने कहा कि थाईलैण्ड में टिन माइनिगं से वनों पर एवं मछली के व्यवसाय पर भी प्रभाव पड रहा है । उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया । पहले तो आम के पेडोंको बचाने का काम किया और पेड लगाने का काम किया । ११ प्रान्तों में ८० गांव इस काम मे संलग्न हैं। कुल १०,००० लोग यह काम कर रहे हैं । यह एक खुला संगठन है, जिसमे कोई कागज पत्र का काम नहीं है । यह एक गावं से शुरु हुआ था और अब फैल गया है ।

दिपक थापा काभ्रे जिल्ला नेपाल, ने बताया कि कैसे उन्होने कई समूहों के साथ झगडा करने के बाद फिर एक जंगल वापिस लिया जो १० साल पहले २८ परिवारों ने बनाया था । अब २२० परिवार इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं । आन्तरिक मतभेद भी हल हो गये हैं ।

फेली पिआला - वह फिलीपीन्स, "कृषकों के हितों और सेवाओं के केन्द्र" का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो १९८६ में स्थापित हुआ था । सरकार के विरोध में लोगों ने संगठन किया लेकिन संगठन को और अधिक सकारात्मक होना था । आरंभ में यह एक तकनीकि संगठन था विचार विमर्श के आदान प्रदान के बदले नयी तकनीकियें और प्रशिक्षण पर ही जोर देता था । बाद में Agrarian Reform Act पर प्रभाव डालने के लिए वे एकजुट हुए । यह स.गठन दूसरे गैर-सरकारी संगठन के साथ सम्पर्क में आया।

चण्डी प्रसाद भट्ट - ने "चमोली ग्राम सेवा मण्डल" के विषय में बात की जो कि भारत के चिपको आन्दोलन" में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है । पिछले ५० सालों से ग्राम पंचायत और स्थानीय वन अधिकारी मिल कर वनों का नाश कर रहे थे । वन कटने के कारण बहुत बाढ आ गयी । बाढ पीडितों की सहायतार्थ एक संगठन बनाया गया । बाढंमें महिलाओं ने सोचा कि चूंकि महिलाएं ही घर से संबन्धित कार्यों को करती हैं इसलिए वन ह्रास से उत्पन्न समस्याओं को उन्हे ही वहन करना पडेगा । उसके बाद से जब भी सरकार पेड काटने का आदेश देती वहां वे लोग जाकर पेडों से चिपक जातीं और पेडों को कटने से रोकती थी । इसके बाद इन्होंने (महिलाओं) वन प्रबन्ध में अत्यधिक परिश्रम किया और विश्व में सामुदायिक वानिकी का उदाहरण प्रस्तुत किया । इस प्रकार सामुदायिक पेड लगाते हैं, वनों की रक्षा करते हैं, प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम हैं साथ ही प्राइमरी स्कूल भी चल रहे हैं ।

अन्त में समूह के सदस्यों नें भारतीय सरकार से अपील की कि वह सुन्दरलाल बहगुणा (चिपको आन्दोलन) से वार्ता करें जो टिहरी डैमके (उत्तर प्रदेश) के विरोध में उस वख्त भूख हडताल पर थे ।

कार्य समूह - तीन

इस समूह में १९ सहभागी थे जिनमें से ११ महिलायें थी । इस समूह में १० नेपाल से, ६ भारत से २ पाकिस्तान से और १ थाईलैण्ड के प्रतिनिधि थे ।

सभी सहभागियों ने एक दूसरे से अपना तथा अपने सगंठनो का परिचय कराया । जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-

हरि प्रसाद न्यौपाने जो "वोखिम" और "अहाले" सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भोजपूर, से थे । उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कुछ खराब भूमि वन उपभोक्ता समूह को दी गई । प्रत्येक घर से एक महिला तथा एक पुरुष इस समूह के सदस्य बने । आय का आधा हिस्सा सामुदायिक वन खाते में जमा हुआ और आधा मजदूरी आदि देने में । सामुदायिक वन में २० से २५ हजार तक पौधे है । "जिला शिक्षा समिति" ने भी प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया हैं । यह समूह चाहता है कि वन नियमोंको स्पष्ट किया जाय, समूहों के कार्यो को बांटा जाये, बीज वितरण में सहायता हेा, और वन खेती को बढावा मिले।

मीना खड्का, जो "दवारता सैरावी सामुदायिक वन उपभोक्ता" समूह कास्की से थीं, बताया कि वन कानून के तहत निम्न स्तर के वन में सात लोग वन खेती कर रहे है जो जमीन कुल १ हैक्टर है । तरह तरह के पेड इसमें लगाये गए हैं । महीने में २ बार सभा तथा १ बार आम सभा होती हैं । इस संगठन ने सब घरोंको एक आधुनिक स्टोब दिया है, जिससे ईन्धन में लकडी का उपयोग कम हो । इस संगठन ने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया है ।

अमान अली शाह, जो गिलगित, पाकिस्तान से थे । ये "आगा खां गांव सहायता कार्यक्रम" जो, एक गैर-सरकारी संस्था है, उसके प्रतिनिधि थे । उन्होंने बताया कि इस संगठन की स्थापना लोगों में जंगलो को बचाने की आवश्यकता की इच्छा जगाने के लिये की गई थी । जंगल में इस संगठन ने २०,००० हेक्टर जमीन ले रखी है । इसकी समिति में महिला तथा पुरुष दोनो हैं । हरेक सदस्य के लिये यह जरुरी हैं कि वह २०० पेड लगाये । बैंक तथा कर्जे की सुविधायें भी उपलब्ध हैं ।

कुलदीप वर्मा, एक गैर-सरकारी संस्था "पी. ऐ. पी. एन. सिरभौर हिमाचल प्रदेश" का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । उन्होंने बताया कि इस संगठन की स्थापना १० बर्ष पहले हुई । आगे बताया कि जो वन क्षेत्र उन्हे मिला है, वह पर्याप्त नहीं है, और इसकी मल्कियत भी सरकार के पास है, लोग केवल दो या तीन पेड काट सकते हैं । इस संगठन में एक महिला समिति है जिसका नाम "महिला मण्डल" हैं यह महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायों के लिये कार्य करती है । इस समिति द्वारा महिलाओं को कुछ उपयोगी प्रशिक्षण दिए जाते हैं ।

खगेन्द्र सिग्देल, जो "स्विस सहयोगी वन विकास परियोजना" में वन सलाहकार हैं, ने बताया कि उनके संगठन के लोग, लोगों में वनों के प्रति भावना जागृत करने तथा वनों को संरक्षण देने आदिका प्रशिक्षण देते हैं । यह संगठन वन विभाग और "उपभोक्ता समूह" के वीच एक पुल का कार्य करता हैं । दोनों में सामन्जस्य बनाता है । वह बहुत उत्सुक थे कि विभिन्न समूहों का तुलनात्मक अध्ययन हो वह भारत के "चिपको आन्दोलन" के विषय में भी जानना चाहते थे । वाद विवाद के पश्चात यह समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि :-

- नेपाल में वन उपभोक्ता समूहों की स्थिति अच्छी है । यहां उपभोक्ता समूहों को लाभ मिलता हैं । महिलाओं का योगदान इन सामुदायिक समूहों में बढा हैं । कुछ स्थानों पर वन उपभोक्ता

समूहों ने पर्याप्त मात्रा में धन भी अर्जित किया है ।

- भारत में सामुदायिक वनों से सम्बन्धित लगभग प्रत्येक प्रान्त में अलग कार्य रचना हैं, अलग नीतियां हैं, और अलग समस्यायें हैं । अधिकतर प्रान्तों में वन सरकार द्वारा अधिकृत हैं । इसलिये वहां पर सामुदायिक वन इतने लोकप्रिय नहीं हैं क्योकि सामुदायिक समूहों को भूमि नहीं मिलती और उन्हें वन स्रोतों से कोई खास लाभ भी नहीं होता । भारत के प्रतिनिधि ये जानना चाहते थे कि नेपाल में सामुदायिक वन की क्या स्थिति हैं और उसकी संरचना कैसी है ?

कार्य गोष्ठी से अपेक्षायें

- विभिन्न देशों के सहभागियों के बीच विचारों का, अनुभवों का तथा समस्याओं का आदान प्रदान करना। उपभोक्ता समूहों के लिये शिक्षा, गोष्ठी तथा यात्रा का आयोजन हो, जिससे कि वे और तीव्र गति से कार्य कर सकें ।
- नयी नीतियों तथा कार्यरेखा का निर्माण । वर्तमान कानून के तहत नयी व्यावहारिक नीति निर्माण कर, जिला, क्षेत्र तथा केन्द्रीय स्तर, पर संस्थानों की स्थापना ताकि लोगों को वन व्यवस्था से अवगत कराया जा सके ।
- वन खेती को बढावा देने के लिये एक स्पष्ट नीति का निर्माण ।

कार्य समूह - चार

इस समूह में १८ सहभागी थे जिनमें से १० पुरुष तथा ८ महिलायें थी । ११ नेपाल से ५ भारत से और २ पाकिस्तान के सदस्य थे । समूह सदस्यों ने अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ बांटा जिनमें से मुख्य था, वनों का घटना । जिसके मुख्य कारण हैं :-

- पर्यावरण के प्रति ज्ञान की कमी ।
- वन विभाग तथा वन उपभोक्ता समूहों के बीच सामन्जस्य की कमी ।
- वन तकनीकी की कमी ।
- गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या
- पुरुष प्रधानता
- समाज के उच्च वर्गों की प्रधानता
- औषधि पेडों का दुरुपयोग
- वन क्षेत्र में सीमा की समस्या
- सामुदायिक और जगंली जीवन के लिये स्पष्ट हितकारी नियम बनाने की आवश्यकता

कार्य गोष्ठी से अपेक्षायें

समूह सदस्य कुछ विषयों को जानना चाहते थे जैसे:

- वातावरणीय मुद्दे जैसे जंगलो को आग से बचाना, भू-स्खलन, वनों की दुर्दशा और उन्हें बचाना
- सफल वृक्ष प्रत्यारोपण, वन खेती की तकनीक

- झगडे जैसे कि, वन में घुसपैठ, उपभोक्ता समूहों में व्यवस्था सम्बन्धी आपसी मतभेद, और इन झगडों को सुलझाना ।
- नेपाल के सफल सामुदायिक वन कार्यक्रमों के विषय में ज्ञान हासिल करना ।
- हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के सभी देशों को जोडना तथा उनमे सामन्जस्य स्थापित करना
- समुदायों को शक्तिशाली बनाना ।
- पैसा, इकट्ठा करने के तरीके
- एक दम नीचे स्तर से ही लोगों में वनों के प्रति भावना जागृत करना

समूह के सदस्यों का परिचय

यम बहादुर आले - जो "दिम सामुदायिक वन समूह तनहुं नेपाल" के अध्यक्ष हैं, ने बताया कि यह संगठन तब शुरु हुआ था जब खोरिया प्रथा के तहत तनहुं जिला में लडकों को जगंलों में पेड काटने भेजा जाता था यह देखने के लिये कि वे कितने शक्तिशाली हैं । जो पेड गिरते थे उन्हे जला दिया जाता था, और बची जमीन खेती के कामके लायी जाती थी । इसका कारण खेती के लिये पर्याप्त भूमि का न होना और बेरोजगारी था । इसी कारण बडी संख्या में पेड काट डाले गये । दो वर्ष पहले यह सामुदायिक वन कार्यक्रम शुरु हुआ अब वहां के लोग सब्जियां उगाते और बेचते हैं । उनकी सालाना आमदनी ने. रु. १,००,०००।- है । यह आमदनी वन विकास खेती, पीने का पानी, पुल बनाना, आदि के लिये प्रयोग होती है। अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है ।

सुभद्रा अधिकारी - जो कास्की जिल्ला नेपाल से थीं, बताया कि उनकी "महिला वन उपभोक्ता" समूह की सभी महिलाओं ने २ हैक्टर जमीन में पेड लगाये । उन्होंने बताया कि इस समूह को भू-सरक्षंण के लिये पुरस्कार भी मिला है । उन्होने कहा कि इस समूह के सदस्यों को घांस तथा लकडी वन से मिलता है । इस समूह ने एक मातृ समूह भी बनाया है, इन्होंने पीने के पानी की परियोजना में भी सहायता की हैं, २५० मी. लम्बा रास्ता भी बनाया है । ये भू-संरक्षण के कार्य में भी संलग्न हैं ।

आशीष कुमार शाह - जो त्रिपुरा भारत से थे । वो आचार्य जगदीश चन्द्र बोस "वृक्ष मित्र संघ" जो एक गैर-सरकारी संस्था है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे । उन्होने बताया कि उनके संघ को राज्य अवार्ड प्राप्त हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के लिये । यह समूह तकनीकी सहायता प्रदान करता हैं । इनके चार प्रकार के वन कार्यक्रम हैं:- सामाजिक वन, फार्म वन, खेती वन, संयुक्त वन ।

झालाभाई राथवी - जो "विक्रम साराभाई केन्द्र" (विकसत) गुजरात से थे, ने बताया कि गुजरात में अधिकतर जंगलो को साफ कर दिया गया है । गांवो में लोग जंगलों को बचाने के लिये मिलजुल कर कार्य कर रहे है, और इनका संगठन सरकार और गांव समूहों के बीच एक बिचोलिये का कार्य कर रहा है । कुछ सहकारी संस्था मे सरकार और विकसत के साथ मिलकर "Leeashold Forestry" को भी आरंभ किया गया है ।

कृष्णा सुबेदी - जो स्यांग्जा नेपाल से थीं, ने एक सच कहानी सुनाई जिससे स्पष्ट होता है कि एक धनी की अपेक्षा एक निर्धन किस प्रकार से वनों पर अधिक निर्भर करता है ।

मोटे सार्की बहुत गरीब आदमी था उसकी ६ बेटियां थी जिनका पालन पोषण वह लकडियां काटकर करता था । एक महिलाओं का समूह बना जो जंगल की रक्षा करता था । लेकिन भोटो सार्की नहीं बदला वह लकडियां काटता रहा । महिला समूह ने कई बार उसे पकडने का प्रयास भी किया लेकिन वे सफल नहीं हो पायी । किसी को पता नहीं चलता था कि कब जाकर वो लकडी काट लेता था । बहुत प्रयासों के बाद एक दिन वो पकडा गया और महिला समूह ने उसे पुलिस थाने में ले जाकर बन्द करवा दिया । जैसे ही भोटे सार्की पकडा गया और बन्द होगया उसकी पत्नी मेरे पास आयी और विनती करने लगी कि अब उन्हें पालने वाला कोई नही हैं । वह पैसे और चावल मांगने लगी । उसे कुछ चावल देकर भेज दिया । लेकिन बाद मे समूह ने सोचा क्यों ना हम भोटे सार्की को नौकरी दे दें, जगंल की देखभाल का काम दें तब वह पेड भी नहीं काटेगा । तो वे उसे ४८० रु. महीना देने लगी तब से भोटे सार्की जंगल की देखभाल कर रहा है ।

श्री पीयरमसाक ने प्रारम्भिक सत्र का सारांश इस प्रकार दिया कि इस सत्रका मुख्य विषय सरकारी नियम, नीतियां, और वन संरक्षण था साथ ही उपभोक्ता समूहों के कार्यो में सुधार लाना और उन्हे सुदृ बनाना भी था ।

सभा सत्र के बाद सहभागियों को "देश कार्य समूह" में बांटा गया । समूहों से कहा गया कि वह अपने देश का प्रस्तुतिकरण बनाये जिसमे उनके देश के वन समुदायों का स्तर, नीतियां, नियम समस्यायें सफलतायें, असफलतायें आदि सम्मिलित हों ।

सर्वनाम सडक नाट्य समूह

सायंकाल एक नाटक प्रस्तुत किया गया जो विशेष तौर पर कार्य गोष्ठी के लिये ही लिखा गया था । इसमें गांव के एक पेड की कहानी हैं जिसे वहां के लोग समझते थे कि एक पवित्र पूजनीय वृक्ष है । वह वृक्ष एक स्थानीय नेता की आंखो में आ गया । वह राजनेता एक धनी जमीदार के साथ उस क्षेत्र में गया और लोगों को कहने लगा कि गांव अच्छा हो जायेगा अगर तुम इस पेड को काट लोगे परन्तु स्थानीय समुदाय के लोग उसकी बात से राजी नहीं हुये और वृक्ष को बचाने की सोचने लगे।

राजनेता और जमींदार ने सोचा कि वह इस वृक्ष की लकडी बेचकर खूब पैसा कमा लेंगे और तब उन्होने स्थानीय पुजारी को भी अपने साथ मिला लिया । उन्होने पुजारीको काठमाण्डू मे घर बनाकर देनेका आश्वासन दिया और कहा कि वह स्थानीय लोगों से कहे कि इस पेड पर दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, का निवास है, जो गांव को वर्बाद कर देगा । लोग इस बात को नही माने कि जो वृक्ष इतने सालों से उन्हे छाया दे रहा हैं वह अभिशप्त कैसे हो सकता है ? पुजारी उन्हे मनाता रहा । अन्त में बहुत विरोध के बाद समुदाय ने उस वृक्ष को बचा लिया ।

क्षेत्रीय भ्रमण

चौथा दिन
मई २४, १९९५
बुद्धवार

चौथा दिन भ्रमण के लिये रखा गया था । दो स्थानों का चयन किया गया एक काभ्रे जहां आष्ट्रेलिया की सहायता से समुदायिक वन कार्यक्रम चल रहा हैं और दूसरा धादिङ्ग जहां "यूनाइटेड मिशन टू नेपाल" की देखरेख में कार्य हो रहा हे ।

देर सायकांल श्री एगवर्ट पेलिन्क नें ICIMOD के प्रदर्शन कक्ष में जो कि गोदावरी में है, चाय का आयोजना किया ।

देश समूह की प्रस्तुतीकरण

पाँचवाँ दिन
मे २५, १९९५
वृहस्पतिवार

फिलीपिन्स

जार्ज पेगलीनवान ने फिलीपीन्स का प्रस्तुतीकरण किया । अंग्रेजी में तैयार की गई स्लाइडस का अनुवाद समय बचाने के लिये तुरन्त नेपाली और हिन्दी में किया गया । श्री पेगलीनवान ने सर्वप्रथम "बारगैं पैट्टोसिनी सामुदायिक वन परियोजना" का विवरण दिया । यह परियोजना १९९२ में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ की गयी थी ।

- कृषकों को खेती और वन क्रियाकलापों के विषय मे सिखाना ।
- वन स्रोतो से कमाई बढाना
- वन क्षेत्र में जैविक भिन्नताको सुरक्षित रखना ।

इस परियोजना में ५५ घर सम्मिलित हैं और यह ५३० हैक्टर वन में फैला है । जिसमें १०० हेक्टर में मात्र टिम्बर वन है । इसमे पाये जाने वाले स्रोत हैं, चुना, पत्थर, पेड, झरने, जो सामुदायिक पानी का स्रोत है । इस परियोजना का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से है ।

परियोजना के कार्य

सभा सत्र एक
(११ से १ बजे तक)
सभापति:
कमलाबेन भागोरा एवं
जी.राजू ।

- कृषकों को संगठित करना
- युवा, महिला तथा पुरुषों की सहायता से समिति गठन करना
  - पशु वितरण
  - विभिन्न प्रकार के कृषि तरीके
  - फलों तथा पौधों की नर्सरी-
  - वानिकी
- गोष्ठियां तथा प्रशिक्षण केन्द्र व्यावहारिक शिक्षा
  - कृषकों को कृषकों से मिलाना, कृषकों को संस्थाओ से परिचित कराना ।
- सहकारी शिक्षा

- मासिक सभा
- प्रबोधन

प्रोजेक्ट की शक्ति और रुकावटें

शक्तियां

- स्थानीय सरकार से सहायता
- विश्वविद्यालयों, वन विभागों, गैर-सरकारी संस्थाओं और चर्च समूहो से सम्पर्क
- पडोसी क्षेत्रों का इस परियोजनाको लागू करने में सहयोग
- महिलाओं का योगदान
- केन्द्रीय कृषि सेवा केन्द्र तथा समुदायों में अच्छे सम्बन्ध
- सामुदायिक सेवा अन्य सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, गैर-सरकारी सस्थानों और चर्च समूहों के लिये एक आदर्श उदाहरण
- पेडों तथा फलों के पौधे लगाने में आत्म निर्भर

रुकावटें

- नौकर शाही या अनियन्त्रित शासन
- अन्य गैर-सरकारी संस्थाओ के साथ भिडन्त
- सरकारी विभागों का गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने मे हिचकिचाना ।
- राजद्रोह
- भूमि अधिकार का मसला

प्रस्तुतीकरण के पश्चात्त श्री पेगलिनवान ने फिलीपीन्स सरकार के "सामुदायिक वन कार्यक्रम" के समझौता पत्र के विषय में बताया ।

- तैयारी
  - क्षेत्रीय पहचान और सलाह
  - उपभोक्ता पेशेवरों से सलाह
  - गैर-सरकारी संस्था का चुनाव व उससे समझौता
- कार्य
  - समिति संगठन नीति निर्माण
  - शिक्षा
  - गोष्ठियां

- धन उपार्जन करने की परियोजनायें, लगानी, धन संचय
- वन कार्य
- वन खेती पर गोष्ठियां
- नर्सरी बनाकर फलों और पेडों को लगाना

■ परिवर्तन

- गैर-सरकारी संस्थाओं से दो वर्ष बाद सम्बन्ध समाप्त
- प्राकृतिक स्रोत विभाग द्वारा कब्जा

■ लाभ

- पशु पालन और कृषि की सारी आमदनी समुदाय को

■ आर्थिक पहलु

- स्थायी पेड लगाने के समय में आमदनी का कुछ हिस्सा समुदाय को सरकार को देना पडेगा
- सामुदाय आमदनी आपस में बांट लेगा

वादविवाद

प्र. सरकार दो साल बाद अधिकार क्यों ले लेती हैं ?

उ. कई गैर-सरकारी संस्थायें यह प्रश्न पूछती हैं । इसी कारण हमारी परियोजना हमारे क्षेत्र में सर कार के साथ भाग नहीं लेती । प्रारंभिक अवस्था के सामुदायिक संगठनों पर गैर-सरकारी संस्थाएं सरकार से बेहतर हैं । प्रारंभिक संगठन के बाद उनमें और भी परियोजनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है ।

प्र. क्या समुदाय जमीन रखना चाहते हैं या सरकार को वापिस देना चाहते हैं ?

उ. पहले तो जमीन सदा सरकार की ही है । सिर्फ इसकी देखभाल समुदाय करते हैं । हमें ऐसा लगता है कि सरकार एक तरह से हमें प्रयोग कर रही हैं, समुदाय बनाने के लिये, ताकि बाद में अधिकार ले सके ।

प्र. क्या नर्सरियां उन लोगों द्वारा बनायी जाती है जिनकी जमीन है या सरकार द्वारा ?

उ. सामुदायिक नर्सरी, समुदाय के सदस्यों द्वारा बनायी जाती है, लेकिन वह उनलोगों को भी जो सदस्य नहीं है, पौधे तथा बीज वितरण करती हैं ।

थाईलैण्ड

श्री पीयरभसक तथा डिन सिरटों ने थाईलैण्ड का प्रस्तुतीकरण वन सम्बन्धी स्लाइडस दिखा कर किया । थाईलैण्ड कुल ५,००,००० वर्ग कि.मी में फैला है, जिसमें से ४० प्रतिशत भूमि वनों से ढकी होनी चाहिये परन्तु मात्र २६ प्रतिशत भूमि ही वनों से ढकी हैं । अभी १४ प्रतिशत और भूमि को वनों से ढकने की आवश्यकता है ।

थाईलैण्ड में बहुत सारे मापदन्ड अपनाये गये, सामुदायिक व्यवस्थित जंगलों को पहचानने के लिये । सरकारी तौर पर सामुदायिक व्यवस्था के जंगल इस प्रकार हैं ।

उत्तर	३०० वन
उत्तर पूर्व	१०० वन
दक्षिण	६५ वन
केन्द्रीय	५० वन

अभी की राष्ट्रीय नीति के अनुसार सामुदायिक वनो को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । राष्ट्रीय सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजना का भी निर्माण हुआ है । नये "सामुदायिक वन नियम" को भी लागू किया गया है । पिछले दो सालों से सरकार की नीति रही हैं कि उन स्थानीय संगठनो की सुदृढ करें, जो प्राकृतिक स्रोतों तथा वातावरण व्यवस्था में सलग्न हैं । सरकार ने इन्हे प्राथमिकता दी हैं। हाल ही में दो सामुदायिक वन नियम बने हैं एक सरकार द्वारा लिखा गया हैं और दूसरा लोगों द्वारा निर्मित हैं, जिसे विभिन्न समुदायों और गैर-सरकारी संस्थाओ ने तैयार किया है । आशा है दोनों के बीच का समझौता ही हल होगा । अभी सामुदायिक वनों की व्यवस्था वन संरक्षण नियम तथा परम्परागत व्यवस्था के द्वारा हो रही है ।

पीयरमसाक ने एक चित्र द्वारा बताया कि भू-स्खलन, वन नाश से मछुआरों पर क्या प्रभाव पड रहा हैं । पहाडों की खुदाई, उनसे चूना निकालना, बडे मछली पकडने वाले जहाजों से छोटे मछुआरों पर बहुत प्रभाव पडा है । स्थानीय मछुआरों का यह सपना है, कि बडे जहाज जो मछली पकडते हैं उन्हें हटाया जाये और मात्र मछुआरों को ही मछली पकडने की अनुमती दी जाये ।

सभा सत्र दो (२ से ४:३० बजे तक) सभापति: कमलाबेन भागोरा एवं जी.राजू ।

वाद विवाद

प्र. प्रस्तावित दो "वन कानून" में भिन्नता क्या है और वे दो क्यों हैं ?

उ. जो नियम सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं वह सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं और जो नियम लोगों द्वारा प्रस्तावित हैं वह उपभोक्ता समूहों द्वारा नियन्त्रित है ।

प्र. सामुदायिक वन तथा परम्परागत व्यवस्था में क्या अन्तर हैं ?

उ. सामुदायिक वन सरकार के बनाये हुये नियमों द्वारा बनाये जाते हैं सरकारी अधिकारी एवं स्थानीय प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल है । वास्तव में यह गैर-सरकारी संस्था नहीं होती । सरकार ही गांव प्रमुख की नियुक्ति करती है जगह की व्यवस्था के लिये, सरकार ही पैसा देती हैं खर्च करने के लिये, मुखिया के निर्देशानुसार जंगल बचाने और देखरेख का कार्य होता हैं, जबकि परम्परागत तरीके में स्थानीय लोग मिलकर जंगल की देखभाल करते हैं । गांव वाले अब एक सही सामुदायिक वन व्यवस्थापन चाहते हैं, जिसे उपभोक्ता समूह के सदस्य चलायें ।

प. सामुदायिक वन अब थाइलैण्ड में किस प्रकार कार्य कर रहे है ?

उ. सबसे पहले जंगल और उपभोक्ता समूहों का चुनाव होता हैं । जंगल की वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है । समुदाय अपने आप कार्य करता है । वह दन्ड भी दे सकता है, समस्या सुलझा सकता है, लेकिन मर्यादा में रहकर । वन बस्तु बेची नहीं जा सकती वह लोगों में आवश्यकतानुसार बांटी जाती है । निर्वाचित गांव समिति वनों के प्रयोग, वनों के चीजों के बंटवारे के नियम बनाती है । जो धन वन स्रोतों से एकत्रित होता है वह गांव के कोष में जाता हैं, उपभोक्ता कोष में नहीं ।

प्र. सामुदायिक वन स्रोतो से किसको लाभ होता है ?

उ. लाभ अधिकतर आत्मनिर्भरता के आधार पर होता है । उदाहरण के लिये सारे समुदाय को लकडी दी जाती । प्रशासन सरकार पर निर्भर करता हैं, पर सारे लाभ गांव विकास कोष में जाते हैं ।

प्र. क्या तरीका अपनाया जा रहा हैं सरकार तथा लोगों के विचारों में एकमत हासिल करने का ? बीच में कौन हैं ?

उ. पिछले महीने मन्त्री नें स्वीकार किया था कि वह सरकार तथा जनता दोनो के प्रस्ताव को देखेगें । कुछ समय पहले एक बहुत बडी रैली का भी आयोजन हुआ था पूर्वी थाईलैण्ड में जिसमे मन्त्रीजी ने कहा था कि वह सरकारी प्रस्ताव की एक बार फिर विवेचना करेगें ।

प्र. हमारे नेपाली उपभोक्ता समूह में महिलायें बहुत सक्रिय हैं परन्तु स्लाइड में हमें कोई महिला नहीं दिखाई दी । थाईलैण्ड में क्या महिलायें सक्रिय हैं ?

उ. हां थाई महिलाये बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन पीछे से, उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं होता । थाईलैण्ड में औरतें पैसे रखती हैं और पुरुष कार्य करते हैं ।

प्र. समुदायिक समुद्र से क्या अभिप्राय है ? क्या सिर्फ मछुआरे इसे प्रयोग करते हैं या और लोग भी ?

उ. क्योकि सारे लोगो मछुआरें हैं इसलियें सभी इसे प्रयोग करते हैं ।

भूटान

डेनिस डेसमन्ड जो संयुक्त राज्य के स्वंयसेवक हैं, और भूटान वन विभाग में कार्यरत्त हैं, उन्होंने स्लाइड की सहायता से बताया कि भूटान का कुल क्षेत्र ४०,५०० वर्ग कि.मी. है, और जन संख्या ६००,००० । देशका ६४ प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हैं । १९६९ "जंगल नियम" के अनुसार सारे जंगलों, पेडो तथा व्यक्तिगत जमीनों का सरकारीकरण हुआ था । १९७९ में सामाजिक वन कार्यक्रम की घोषणा हुई जिसमें छात्रों द्वारा मुफ्त बीज बांटे गये, पेड़ उगाने के लिये, लोगों को भाग लेने के लिये उत्साहित किया गया । क्योंकि भूटान में सारे पेड सरकार के हैं, इसलिये उन्हें बचाने के लिये कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता जो १९६९ और १९७९ के नियमें में असमानता दिखलाता है ।

१९८० में सरकार ने "राष्ट्रीय वन व्यवस्था इकाई" की स्थापना की जो वनों के सरंक्षण और व्यवस्था के लिये थीं । १९८७-८८ में कुछ वन विभाग को लेकर प्रायोगिक कार्य किये गये । एफ. ए. ओ. की सहायता से कुछ नियम बनाये गये । १९८७-१९९२ के बीच कुछ नये नियम बने, सामाजिक वन के लिये जिनमें लोगों को सहभागी वनने के लिये जोर दिया गया । १९९२ में एक नयी नीति तैयार की गयी जो १९७४ की नीति को, समाप्त करती थी ।

१९९० से १९९३ में "अन्तरिम समाज वन नियम" बना जिसमें व्यक्तिगत जंगलो को मान्यता दी गयी परन्तु पेड अभी भी सरकार के अधीन है । उससें वन की मल्कियत को स्थानान्तरित करने का प्रावधान है जो व्यक्तिगत जमींनो पर पेड लगाने वालों को प्रोत्साहित करता हैं ।

भूटान का सामुदायिक वन नेपाल के सामुदायिक वन से मिलता जुलता है । जिसमें सुरक्षा तथा व्यवस्था स्थानान्तरण का प्रावधान है । परन्तु उपभोक्ता समिति और व्यवस्था रुपरेखा बनाने की आवश्यकता है । वन क्षेत्र सौंपा गया । हालांकि तब स्रोत अधिकतर स्थानीय लोग प्रयोग करते थे लेकिन फिर भी वन स्रोतों द्वारा अर्जित धन समुदायिक विकास तथा वन व्यवस्था में जाता था । १९९२ मे वन अधिकारीयों की सभा में पाया गया कि वर्तमान नियम रुकावटपूर्ण हैं, नयी प्रविधि का निर्माण हो । १९९३ और १९९५ में एक वन तथा प्राकृतिक संरक्षण नियम बना जो अभी पास होना हैं, अग्रणीय नियम अभी लागू हैं ।

रुपरेखा या तकनीकी सामाजिक वन तथा विस्तार कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत 'सामाजिक वन एवं विस्तार विभाग की जिम्मेवारी रही । यद्यपि जन शक्ति कम थी, फिर भी निम्न मुद्दों के लिए सामाजिक वन एवं विस्तार विभाग ही जिम्मेवार थे ।

- सामाजिक वन, व्यक्तिगत या सामुदायिक
- वन विस्तार
- वृक्ष प्रत्यारोपण
- जलस्रोत व्यवस्था

व्यवस्थापन कार्य १० वन क्षेत्रो सें २० जिला वन विस्तार विभागों में बांट दिया गया जिसमें एक रेंज आँफीसर, एक वन अधिकारी, दो वन सुरक्षक, चार दातृ परियोजनायें १२ से २० जिलों में कार्य कर रही थी ।

भविष्य में कार्यान्वयन करने योग्य मुद्दे

- फिर से सामाजिक वन नियमों की विवेचना
- रुपरेखा को अन्तिम रुप देना और बांटना
- प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता
- गांव विकास - नियम तथा कार्यक्रम
- तकनीकीकरण लागू करना

वादविवाद

प्र. भूटान की व्यवस्था बहुत उंची नीची हैं क्या वहां कोई परम्परागत व्यवस्था है ?

उ. भूटान एक बहुत छोटा देश है, अपने आप सब व्यवस्था कर सकता है । जिले अपने आप निर्णय करते हैं । सारे कार्यक्रम सामुदायिक व्यवस्थित वनों पर है । क्योकि वनों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, इसलिये सरकार सतर्क है, सामाजिक वन लागू करने के लिये ।

प्र. क्या सामुदायिक वन कार्यक्रम दातृ पर निर्भर हैं ?

उ. नहीं, दातृ सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन सारी बातें सरकार लागू करती है ।

प्र. भूटान का ६४ प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हैं क्या वहां भी वन सुरक्षा की आवश्यकता है ?

उ. सरकार इसलिए बहुत धीमी गति से कार्य कर रही है क्यों कि आवश्यकता अधिक नहीं है ।

पाकिस्तान

अली गौहर ने पाकिस्तान के जंगलो का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होनें बताया कि पाकिस्तान का ५ प्रतिशत भाग वनों से घिरा हैं । वनों को पांच भागों में बांटा जा सकता हैं:-

- सरकार संरक्षित वन
- सरकार सुरक्षित वन
- गुजारा वन जो सरकार द्वारा व्यवस्थित हैं, परन्तु इनकी आमदनी समुदाय को जाती हैं और उन्हे फीस देनी पड्ती हैं ।
- व्यक्तिगत / व्यवसायी वन व्यक्तिगत वन एक व्यक्ति का नही होता । ये वन समुदाय के अधीन होते हैं । लेकिन ये एक विशेष व्यवस्था के अर्न्तगत कार्य करते हैं ।

सामाजिक /सामुदायिक वन एक नया विचार है पाकिस्तान में जहां कुछ परियोजनायें दातृ देशों की सहायता से चलती हैं । इसे अभी-अभी वन विभाग में लाया गया है । कुछ आमदनी बढाने के लिये और कुछ वन बढाने के लिये । इन परियोजनाओं के मुख्य लक्ष्य हैं:-

- ईधन तथा चारे का उत्पादन
- गांव के लोगों की आम्दनी बढाना
- बेरोजगारी की समस्या हल करना
- वातावरण का बचाव

हालांकि सब सामाजिक वन परियोजनायें उपभोक्ता समूहों को सम्मिलित करने के लिये बनी हैं, भी वह पाकिस्तान में वन क्षेत्र के एक छोटे हिस्से को घेरती हैं । इसके विकास में जो अडचने समस्यायें हैं वे इस प्रकार हैं:-

- जंगल नियम नीति और स्पष्ट नीति की कमी १९२४ में ब्रिटिश राज में जो नियम नीतियां थी, वो अब तक चल रही हैं ।
- वन अधिकारियों की लोगों को शामिल करने में अनिच्छा ।
- वन विभाग में विश्वास की कमी
- आर्थिक अडचन
- समितियों के पास अधिकारों की कमीं

"आगा खां गांव सहायता कार्यक्रम" एक वन कार्यक्रम है, जो उत्तरी पाकिस्तान के पहाडों में हैं । हिमालय, काराकोरम, हिन्दुकुश तथा पामिर क्षेत्रों में है । यहां तकरीवन ०.८ करोड आवादी है जि ६ जिले आते हैं और यह ७४,२०० वर्ग कि.मी. क्षेत्र मे, फैल हुआ हैं । इनमें से ५ जिलो में टिम्ब ईन्धन की, और चारे की बहुत कमी है, जबकी छठे जिले में प्राकृतिक वन स्रोत वहुत हैं और व व्यक्तिगत व्यवसायिक जंगल है बाकी जिलो में सरकार संरक्षित जंगल हैं । इन वनों में चीड् के भी हैं और खेती लायक जमीन भी ।

श्री गौहर ने "आगा खां गांव सहायता कार्यक्रम" का परिचय दिया ।

- समस्याओं को समझना तथा "आगा खां गांव सहायता कार्यक्रम" के बारे मे समझाना
- निदान तथा मूल्यांकन "पी. आर. ए. "के कार्यो का
- लोगों के साथ मिलकर रुपरेखा तैयार करना
- महिलाओं के कार्य पर चार्ट आदिका प्रदर्शन करना
- विकास परियोजनायें, नर्सरी लगाना, वृक्ष प्रत्यारोपण आदि

वाद विवाद

प्र. केवल ०.८ प्रतिशत गिलगितका जंगल है । यह जंगल काट्ने की वजह से है या प्राकृति कारणों की वजह से ?

उ. इस निम्न वन प्रतिशत के लिये दोनों जिम्मेदार हैं ।

प्र. ईन्धन की लकडी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है ?

उ. लोग उपले और घास प्रयोग में लाते हैं । कुछ मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं, जो १०० कि. मी. दूर में मिलता हैं । तापमान बदलता हैं । ४५°C से -३५°C तक ।

प. *जंगलो का कटना क्या सरकार के कारण था या लोगों के कारण ?*

उ. सरकार "आगा खां कार्यक्रम" को सहायता करती है और हम सरकारको । जगलो में कमी दोनों, सरकार की नीतियों तथा लोगों के क्रियाकलापों का परिणाम है ।

प. *सामुदायिक वन पर जोर क्यों नहीं हैं, लोगों को पेड लगाने के लिये क्यों प्रोत्साहित किया जाता है ?*

उ. "आगा खां गांव सहायता कार्यक्रम" एक कार्य रेखा बना रहे हैं खेतो के लिये और अन्य प्राकृतिक स्रोतों के प्रबन्धन के लिये । हमें लगता हैं पहले हम यह कार्य व्यक्तिगत जमीनों से शुरु करें ।

यह सत्र ४.३० सायं काल समाप्त हुआ । बाकी देशों का प्रस्तुतीकरण, (भारत और नेपाल) का दूसरे दिन सुबह रखा गया । शाम को श्री मंजुल ने नेपाली संगीत सांझ का आयोजन किया ।

भारत

भारतका प्रस्तुतीकरण राजीव अहल तथा जी. राजू ने अंग्रेजी और हिन्दी के चार्ट की सहायता से किया । भारत का देश कार्य समूह, तथा वाद विवाद शुरु हुआ, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा, जिन्होनें अपने राज्य में संयुक्त वन व्यवस्था की संरचना तथा कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया । केन्द्रीय स्तर पर भी संयुक्त वन व्यवस्था की विवेचना की गई । प्रस्तुती वास्तव में सभी राज्यों का संयुक्त प्रयास था जिसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा गुजरात के सहभागियो ने अपने विचारों, समस्याओं अनुभवों को एक दूसरे से बांटा ।

छठा दिन
मई २६, १९९५
शुक्रवार

प्रस्तुतीकरण एक गाने से शुरु हुआ । यहं भी बताया गया कि प्राचीन ग्रन्थों में और प्राचीन संस्कृति बहुत से गाने और कहावतें वातावरण को बचाने के लिये हैं । हम अपनी पुरानी रीतियों तथा पुरानी कहावतें जो पेडों को बचाने के विषय में थीं भूल गये, उन भूली बातों को याद कराने के लिये और पेडो को बचाने की चेतना जगाने का कार्य एक बार फिर १९७० में शुरु हुआ । सामुदायिक वन इस चेतना का परिणाम हैं । एक दशक के बाद लोगों को लगा कि जो अभी तक मिलना चाहिये था वो नहीं मिला ।

संयुक्त वन व्यवस्था १९७३ में बंगाल में शुरु हुई । इसके परिणाम स्वरुप १९९० में सरकारने सब राज्यों में संयुक्त वन व्यवस्था प्रारम्भ करने के आदेश दिए ।

संयुक्त वन व्यवस्था के अनुसार जंगल का नियन्त्रण स्थानीय समिति के अधीन हो गया । सारी वन वस्तुयें टिम्बर को छोडकर समुदाय के हाथ में चली गयी । लेकिन टिम्बर से होने वाला लाभ सरकार और वन संरक्षण समिति में बांट गया । १५ राज्यों नें संयुक्त वन व्यवस्था प्रारम्भ की पर लाभ बांटने

सभा सत्र तीन,
९ बजे सुबह,
सभापति
सोसान कुर्वान

की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं । अधिकतर २५ प्रतिशत समुदाय को और ७५ प्रतिशत वन विभाग को जाता हैं ।

भारत में राष्ट्र स्तरीय विषय

- १९२७ में जो ब्रिटिश राज ने "वन नियम" बनाये थे उन्हे हटाकर एक नये प्राकृतिक विकास नियम का निर्माण किया गया ।
- कटे हुये वनों की जमीन को उद्योग लगाने के लिये देना एक गम्भीर मसला
- जंगल की जमीन, खेती के लिये प्रयोग हो रही है उन लोगों के द्वारा जिनके पास भूमि नही हैं । यह वनों के लिए सही है या गलत इस पर बहस करके निष्कर्ष निकालना ।
- राष्ट्रीय संयुक्त वन व्यवस्था नीति शायद उचित सामुदायिक व्यवस्था के लिए एक कदम आगे न हो ।
- ग्राम पंचायत और गांव उपभोक्ता समूहों के बीच स्पष्ट सम्बन्ध
  - उपभोक्ता समूह वन व्यवस्था के मुख्य पात्र हौं परन्तु पंचायत का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक हैं।
  - नियमों में सुधार ताकि ग्राम पंचायत को उनकी भूमिका स्पष्ट रुप से ज्ञात हो । ग्राम पंचायत के लिये कोष की व्यवस्था जिससे वन कार्यक्रम चलाये जायें ।
  - ग्राम पंचायत गांव के आन्तरिक मसलों को सुलझा सके ।
  - ग्राम पंचायत, एक राजनीतिक संस्था होने के नाते उपभोक्ता समूहों से दूर रहे
  - ग्राम पंचायत वन सम्बन्धी व्यवसायों को बढावा दे ।
  - जब एक से अधिक ग्राम पंचायत उपभोक्ता सूमह के साथ कार्य करती हैं तो कुछ अडचने आ सकती हैं इसके लिये एक संघ का निर्माण हो

- जंगल की भूमि खेती के लिये
  - क्या उपभोक्ता समूह गरीबों तथा भूमिहीनों को जीविका देंगे ?
  - क्या गरीबों को उपभोक्ता समूह वन, समुदायिक वन से लाभ होगा ?
  - यह विषय जंगल और खेती का नहीं बल्कि प्राकृतिक स्रोतों की व्यवस्था का हैं ?

ग्राम वन की धारणा

- अधिकार तथा व्यवस्थापन के लिये वैधानिक विकल्प बनाये जायें । जमीन सरकार की ही रहेगी परन्तु भूमि अधिकार के नियमों में बदलाव हो ।
- स्थानीय स्थतियों को देखते हुये नियमो मे लचीलापन हो
- कार्य प्रणाली, दलितों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा बनायी जाये ।
- संयुक्त वन व्यवस्थापन का विस्तार हो उसमें सभी समुदायों को सम्मिलित किया जाये
- समुदाय का वन उत्पादनों पर शत प्रतिशत अधिकार हो ।
- छोटे उद्योगों की सहायता तथा वन वस्तुओं को बेचने के केन्द्र खोले जायें
- उपभोक्ता समूहों के बीच विभिन्न स्तरों पर सम्बन्ध हों

वन अधिकारियों का रुख

वन अधिकारियों को उपभोक्ता समूहों की सहायता करनें के लिये उत्साहित करना चाहियें क्योकि वन अधिकारियों का कडा रुख लोगों को उनसे दूर कर देता है ।

वैधानिक मान्यता

- उपभोक्ता समूह वन व्यवस्थापन को वैधानिक मान्यता जरुरी । जंगल इसलिये नहीं दिये गये कि समुदायिक वन में विश्वास था वल्कि इसलियें कि वन विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, और वोह जंगल बचाने का कार्य नहीं कर पा रहे थे । इसलिये उपभोक्ता समूह के एक संघ की आवश्यकता है ।
- सरकार और लोग मिलकर नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करें ।

महिलाओं की भूमिका

- महिलाओं के महत्व को मान्यता दी जाये कम से कम ६० प्रतिशत महिलाओं को समिति में सदस्यता प्रदान हो ।
- उपभोक्ता समूह वानिकी में गांव के भीतर के अन्य जमीनों को भी शामिल किया जाए ।
- लाभ को प्रत्येक सहयोगी में बराबर बराबर बांटा जायें ।
- प्रत्येक के लिये चाहे वो वन सम्बन्धी आफीसर हो या समुदाय या गैर-सरकारी संस्था प्रशिक्षण अनिवार्य हो ।
- सम्पूर्ण वन समूहों के नियमों तथा कार्यक्रमोंको लागू करने में लचीलापन होना चाहिये ।

वादविवाद

प. हमें यह बात स्पष्ट है कि नेपाल में वन भूमि की मल्कियत सरकार के साथ है । क्या सरकार ने जे. एफ. एम. बनाने से पहले सलाहकार समिति बनायी थी ?

उ. जो लोग १९८० से पहले खेती कर रहे थे चाहे वो अवैधानिक रुप से ही खेती कर रहे थे जमीन उनकी ही मानी जायेगी । स्थानीय लोगों से सलाह नहीं ली जाती है । कुछ सरकार यह मान रही है कि वह जे. एफ. एम. लागू कर रही हैं, जबकि व लोगों को मजदूरों की तरह प्रयोग कर रही हैं ।

प. खराब वनों को कारखानों के-लिये देना, क्या इन वनों में वसोवास है ? कौन ये जमीने दे रहा है ?

उ. यह सरकार का प्रस्ताव है जिसका विरोध हो रहा है । असल में ये वो जमीन हैं जो आदिवासियों द्वारा प्रयोग हो रही हैं । सरकार के इस प्रस्ताव से सरकार तथा आदिवासी समुदायों मे जो गैर

-सरकारी संस्थाओ के सहयोग से चल रहे है, असमानता या भिन्नता आ सकती हैं ।

प्र. *आप क्या सोचते हैं, गांव के लोगों के विषय में जो स्रोतों को जीवन यापन के लिये उपयोग कर ना चाहते हैं, और शहरी लोगो के विषय में जो स्रोतों को मनोरंजन के लिये उपयोग करना चाहते हैं ।*

उ. हमें पूरा विश्वास हैं कि संगठित जन आन्दोलन मे अधिक शक्ति हैं और वह सारी प्रणाली को प्रभावित कर सकता हैं । उदाहरण के लिये "चिपको आन्दोलन" के छोटे से समूह ने प्रारम्भ किया था जिसका प्रभाव सारे उत्तर प्रदेश सरकार पर पडा ।

सभा की अध्यक्ष सोसन कुर्बान ने कुछ विचार इस प्रकार रखे:

- वन क्षेत्रों के अधिकार तथा स्वामित्व वन समूहो के हाथ में हो
- नियमों मे लचीलापन हो
- महिलाओ की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसमें सुधार होना चाहिये
- लाभ बाटंने में एक समता होनी चाहिए,
- वन अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों मे सहयोग होना चाहिये ।

सभा सत्र चार,
१० बजे,
सभापति
जर्ज पाग्लिनावान

नेपाल

नेपाल की ओर से प्रस्तुतीकरण श्री दीपक थापा के. पी. अधिकारी, एच. पी. न्यौपाने तथा वाई. पी. आले ने किया ।

प्रस्तुतीकरण का प्रारम्भ नेपाल में समुदायिक वन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरु हुआ । इतिहास को तीन भागों में बांटा गया:-
(१) राणा राज्य से पहले
(२) राणा राज्य में
(३) प्रजातन्त्र में

मुख्य रूप से इस समय में ही वनों को भारी नुकसान हुआ । वनों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात ही वनों की क्षति प्रारम्भ हुई । विभिन्न राजनैतिक क्रियाकलापों से वन नाश हुआ ।

नेपाल में सामुदायिक वन की ऐतिहासिक पृष्टभूमि

राणा राज्य से पहले:-राणा राज्य से पहले नेपाल में वनों की दशा बहुत अच्छी थी । उनके संरक्षण के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं थी । जागीर, किपत, और वीरता, आदि में सेना के आफीसरों तथा महल के आफीसरों को, वनों के अंश दिये जाते थे, जिसे वह अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते थे जिससे वनों का अतिक्रमण बढा ।

राणा राज्य में:- वनों का अतिक्रमण इस काल में बढा जिसका कारण था सत्ता को लेकर राणा भाइयों का आपसी मतभेद । जो लडाई में हार गये वे जंगलों में चले गये और वन काटकर अपने तथा अपने सहयोगियों के लिये स्थान बनाया । वनों की लकडी का एक बडा भाग भारत भेजा गया रेलवे लाइन बनाने के लिये ।

राणा राज्य के बाद:- इस समय में विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों और आन्दोलनों के कारण वनों का नाश हुआ विशेषकर १९५०/५१, १९७९/८०, १९८९/९० इन राजनैतिक आन्दोलन के कारण पूरे वनों का चार प्रतिशत समाप्त हुआ, साथही वन नियमो, उपनियमों से वन विनाश हुआ ।

१९५६/५७ मे वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ और लोगो को वनों से घास, लकडी, चारा तथा ईधन लाने पर रोक लगादी गयी । लोग इसके बाद वन स्रोतों को ऐसे ही लाने लगे । उन्होनें वनों की सुरक्षा बन्द कर दी । १९५९/६० मे पुर्नस्थापन कम्पनी तथा टिम्बर करपोरेशन आफ नेपाल ने तराई में वनों की सफाई का कार्य प्रारम्भ किया ।

१९६१/६२ में नया वन नियम लागू हुआ जिसमें वनों को विभिन्न समूहों मे बांटा गया जैसे राष्ट्रीय, समुदायिक, धार्मिक, व्यक्तिगत आदि । लेकिन लोगों के सहयोग से संचालित सामुदायिक वानिकी की धारणा सफल नहीं हो पायी।

१९७८ के पंचायत नियमों के अनुसार सामुदायिक वन पंचायतो को सौपें गये । वन सुरक्षा का कार्य भी स्थानीय पंचायत का ही था परन्तु पंचायत सदस्यों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया । अपने निहित स्वार्थ के लिये, उन नियमों का उपयोग किया । व्यक्तिगत वन नियमों का सुधार १९८७/८८ में हुआ । पिछले ४० वर्षों सें विभिन्न नियम, उपनियमों का निर्माण हुआ, कई सुधार हुये । परन्तु १९९२/९३ में पहली बार "सामुदायिक वानिकी" को मान्यता दी गई । लोगों के प्रयासों, दातृ संस्थाओं तथा सरकार की सहायता से अब "सामुदायिक वन कार्यक्रम" नेपाल में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं ।

पर्वतीय विकास

दूसरा विषय पर्वतीय विकास से सम्बन्धित था जिसमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलू थे जैसे:- आर्थिक, सांस्कृतिक शैक्षिक स्वास्थ्य तथा भौतिक रचना ।

परिचय: विकास का अर्थ केवल जीवन शैली में सुधार ही नही, रहन सहन की उच्चता ही नहीं, बल्कि आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास तथा अच्छा स्वास्थ्य और भौतिक परिस्थितियां भी हैं।

समस्यायें

- पर्वतीय क्षेत्र पहुंच से बाहर हैं ।
- निरक्षरता बहुत है ।

- जन संख्या बहुत तेजी से बढ रही हैं ।
- सरकारी नीतियां अपर्याप्त हैं ।

समस्यायों का प्रभाव

- कठिन एवं निम्न स्तर का रहन सहन
- प्राकृतिक प्रकोप की अधिकता पर्यावरण की असमानता

पर्वतीय विकास में सामुदायिक वानिकी की भूमिका

- लोगों को संगठन की भूमिका तथा सामाजिक एकता से अवगत कराना
- अन्य सामाजिक समूहों की संरचना
- व्यक्तिगत वनों तथा कृषि वन कार्यक्रमों को बढावा
- पशुपालन को बढावा
- स्थानीय जीविका में वृद्धि
- भू-स्खलन रोकना

पर्वतीय विकास के लिये सुझाव

- सरकार, गैर-सरकारी संस्थाये दातृ संस्थायें, और लोग अपने को वन विकास के लिये समर्पित करें ।
- स्थानीय लोगो को योजना बनाने, चुनने तथा व्यवस्थापन में शामिल करना चाहिये ।
- प्राकृतिक स्रोतों तथा वन्य जीवन के विकास तथा संरक्षण के लिये सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम बनाना ।
- स्थानीय समुदायों को तकनीकी सहायता, सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जानी चाहिये ।
- घरेलु उद्योगों तथा लघु स्तरीय कार्यक्रमों को बढावा ।
- पवर्तीय विकास के परिणाम
- लोगों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति, आयवृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप रहन सहन के स्तर में उच्चता ।
- स्थानीय समुदायों को आत्म निर्भरता प्रदान ।
- प्राकृतिक वातावरण में सुधार ।
- स्थानीय स्रोतो तथा कार्यों में वृद्धि ।

नेपाल में सामुदायिक तथा व्यक्तिगत वन कार्यक्रम

नेपाल में ३,३०० से अधिक वन उपभोक्ता समूह वैधानिक रुप से पंजीकृत हैं और तकरीवन १३५,१५१ हैक्टर वन भूमि उन्हें दी गयी है । तकरीवन ४,००० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अभी वन भूमि लेने की प्रक्रिया में हैं ।

स्लाइड की सहायता से नेपाल में समुदायिक वन समूहों की संख्या दिखाया गया ।

प्रदेश	उपभोक्ता समूह की संस्था	क्षेत्रफल (हेक्टर)
पर्वतीय	२,९८७	११२,१८९
तराई	३२०	२२,९६२
कुल संख्या	३,३०७	१३५,१५१

संस्था सम्बन्धी विषय

समुदायिक वन सम्बन्धी कार्यक्रम के विभिन्न विषयों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर वादविवाद हुआ ।

वन सौंपने की प्रक्रिया

- उपभोक्ता समूहों की पहचान या चुनाव ।
- उपभोक्ता समूहों के कार्यक्रम की रुपरेखा का निर्माण ।
- वनों को समूहों को सौपना ।
- वन सौपने के चरण ।
  - नियमों आदि की जानकारी तथा सामुदायिक वन के विषय में घर घर में चेतना जागृत करना
  - छोटे छोटे समूह बनाकर वाद विवाद करना ।
  - कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पहले एक सभा का आयोजन करना ।
  - वर्ष में एक बार समिति की सभा करना ।
  - दो वर्ष मे एक बार एक आम सभा की आयोजना करना ।

सकारात्मक तथ्य

- उपभोक्ता समूहों को वैधता प्रदान ।
- वन विभाग के आफीसरों के सामुदायिक वन कार्यक्रमों के प्रति नजरिये को बदलना ।
- वन विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान ।
- वन स्रोतों द्वारा अर्जित आय का सौ प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ता समूहो के कोष में जाये तथा प्रत्येक सदस्य को बराबर का हिस्सा मिले ।
- लोगों की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बने ।
- वन विभाग पूरे साल का कार्यक्रम लोगों की आवश्यकतानुसार बनाये ।
- वन स्थानान्तरित करने का अधिकार क्षेत्रीय निर्देशक से हटाकर जिल्ला वन अधिकारी को सौपा जाये ।
- वनो से होने वाली आय से लोग अन्य क्षेत्रों का विकास जैसे शिक्षा, पीने का पानी, तालीम, आदि कर सकते है

नकारात्मक तथ्य

- वन सौपने की प्रक्रिया में असमानता ।
- प्रशिक्षित तथा पढे लिखे लोगों की कमी जो लोगों को पढा सके तथा समुदायिक वन के विषय में बता सके ।
- उपभोक्ता समूह के सभी सदस्य समान रुप से सक्रिय नहीं होते हैं ।
- महिलाओं के योगदान में कमी ।
- जहां उपभोक्ता सदस्य अधिक है वहां उपभोक्ता समूह के कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाई ।
- जो वन समूहों को सौपें गये है, वह सुरक्षित हैं बाकी वनों का विनाश जारी हैं ।
- वन अधिकारियों का राजनैतिक नेताओं से सम्बन्ध के कारण वास्तविक उपभोक्ता समूह का पता लगाने में कठिनाई । राजनैतिक हस्तक्षेप ।
- कुछ समूह विना बात के वैधानिक झगडों में पडे, हैं जो वन विभाग द्वारा लादे गये हैं ।
- राजनैतिक सीमाओं तथा समूह सीमाओं के कारण विवाद ।
- कुछ स्थानों पर उपभोक्ता समितियां उपभोक्ता समूहों से अधिक शक्तिशाली हैं ।
- समूहों मे झगडों से समस्यायें ।
- वन अधिकारियों की कमी ।
- राजनैतिक सीमायें वैज्ञानिक ढंगसे निर्धारित नहीं हैं ।
- कुछ वन अधिकारी रुखे स्वभाव के हैं तथा उन्हे तकनीकी ज्ञान नही है ।
- उपभोक्ता समूह कोष को अच्छी तरह से नही रखा जाता ।

सामुदायिक वन की नीतियों तथा नियमों का विश्लेषण

वन नियमों (१९९२-९३) तथा वन अधिनियमों (१९९४-९५) का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के लिये उसके सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनो पक्षों को सामने रखा गया । अधिकतर नियमों तथा उपनियमों को उनके प्रगतिपूर्ण व्यवहार के लिये सकारात्मक माना गया । अधिकतर नियम तथा उपनियम नेपाल में सामुदायिक वन के विकास के लिये उपयोगी हैं । कुछ नियम ही ऐसे है जो समुदायिक वन के रास्ते में अडचन हैं ।

वन व्यवस्थापन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये एक बहुत ही सफल तथा महत्वपूर्ण तरीका है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक है । वनों की स्थिति, समर्पित करने से पहले और बाद मे क्या है इस विषयमें भी चर्चा हुई ।

वन हस्तान्तरण से पहले

- सारे अधिकार सरकार के पास थे लोगो को वन स्रोतों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था ।
- वनों की नीतियां तथा नियम स्पष्ट नही थे एंव लोगों की पहुंच के बाहर थे ।
- वन नियम, उपनियम तथा रुपरेखा एक दूसरे के विपरीत हैं ।

वन हस्तान्तरण के बाद

- स्वामित्व में बढोत्तरी ।
- महिला सहभागिता मे उत्साह ।
- वन स्रोतों के प्रति जनचेतना ।
- ग्रामीण विकास की ओर सकारात्मक प्रगति ।
- रोजगार के अवसर प्रदान ।

वादविवाद

प्र. किस हद तक उपभोक्ता समूह सरकार पर निर्भर हैं ? उपभोक्ता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या करना चाहिये ?

उ. लोगों को शिक्षित करने के बाद तथा जनचेतना जगाने के पश्चात वन अधिकारी अब उपभोक्ता समूह बनाने, कार्य प्रणाली तथा रुपरेखा बनाने में सहायता करते हैं । सरकार केवल तकनीकी सहायता तथा बीज आदि उपलब्ध कराती है । आत्मनिर्भरता तो समूह के प्रयासों तथा क्रियाकलापों पर निर्भर करती है । समुदाय की भावना, रुचियां तथा संगठित कार्यों से आय अर्जन करने के अनेक साधन सामने आते हैं, जैसे पशुपालन आदि । अन्त में उपभोक्ता समूह आत्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र हो जाता है ।

प्र. हमने सुना है कि नेपाल में वन विभाग सामुदायिक वनों मे व्यवसायिक पेड लगाना चाहता हैं? इसमें कितना सत्य है ?

उ. ऐसा कोई नियम नही हैं । यह पूरी तरह से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता हैं । सामुदायिक वनों के तीन चरण हैं । पहले समुदायों को भूमि का टुकडा पांच वर्ष के लिये दिया जाता है । जो लोगों की आवश्यकताओं तथा उनके संगठन, समबन्धन सम्बन्धी क्षमता को देखकर वन का हिस्सा उन्हें दिया जाता है । दूसरे चरण में व्यवस्थापन की सारी जिम्मेदारी, सुरक्षा की तथा उपयोग करने का अधिकार उपभोक्ता समूहों को सौपा जाता है । अन्तिम चरण में समूहों को वन स्रोतों को उपयोग करने के सारे अधिकार मिल जाते हैं । ये पांच वर्ष का समबन्ध इसलिये नहीं कि वनों को पांच वर्ष बाद वापिस ले लिय जाये वल्कि अच्छे व्यवस्थापन के लिये है ।

प्र. हमें नेपाल के प्रस्तुतीकरण से ज्ञात हुआ है कि समूदायिक वन कार्यक्रम सरकार द्वारा लागू हुये हैं । जबकि भारत में स्थिति ऐसी नही हैं । वहां लोगों तथा वन विभाग में बहुत अधिक दूरी है वहां वन विभाग के लोग आम लोगों को वनों में जाने से रोकते हैं । ऐसा लगता है नेपाली वन विभाग का रुख इस विषय में नर्म है । यहां नेपाल में सामुदायिक वनों के लिये क्या बजट है ?

उ. सामुदायिक वनों की धारणा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक हैं, क्योंकि सरकार अकेले पर्वतों की सुरक्षा का कार्य नहीं कर सकती इसलिये वह वनों को लोगों को सौपना चाहती है । जबकि तराई में

स्थिति उल्टी हैं । वहां पर व्यवसायिक वन हैं । अन्य कारण यह है कि वन क्षेत्र मे जो नियम १९८८/८९ / १९८९/९० में वने थे, वे सामुदायिक वनों की सहायता के लिये तैयार है । अगर सरकार सामुदायिक वनों को बढावा नही देगी तो कोई दान भी नहीं देगा । बजट का ४७ प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक वनों तथा व्यक्तिगत वनों के लिये हैं ।

प्र. नेपाल में सामुदायिक वन व्यवस्थापन अच्छा हैं, और इसे बहुत पहले से यहां लागू किया गया है फिर भी कुल वनो का केवल २ प्रतिशत हिस्सा ही हस्तान्तरित किया गया हैं । यह प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है ?

उ. कुछ लोग कहते हैं, कि यह प्रक्रिया धीमी है, कुछ लोग कहते हैं कि काम ठीक गति से हो रहा हो । दोनों में मतभेद है । लोग कहते हैं कि प्रक्रिया धीमी है, क्योंकि सरकार को हस्तान्तरण का कार्य २०१० तक समाप्त करना है । लेकिन उपभोक्ता समूह बनाना नियम, उपनियम, बनाकर उन्हें लागू करना आसान कार्य नही हैं । दूसरा कारण यह है, कि एक उपभोक्ता समूह को छाटंना फिर वन को चुनना एक लम्बी प्रक्रिया है । साधारणता १३ वन अधिकारी होते हैं । एक पहाडी जिले में जो उपभोक्ता समूह छांटने के लिये जिम्मेदार हैं । इन १३ में से भी कुल ८ या १० मिलते है बाकी या तो ट्रांसफर में गये होते है या छुट्टी पर । लोगों में अभी उपभोक्ता समूह को लेकर जागरुकता कम है । इसका एक कारण सरकार की क्षमता कम है, और दूसरा वन आफीसरों का व्यवहार उत्साहजनक नहीं हैं । वन विभाग पर समुदायों की ओर से बहुत दवाब हैं। कम से कम ४,००० समुदायों को वन मिल चुके हैं । लेकिन सभी उपभोक्ता समूह अपने अधिकारों नियमों नीतियों तथा सरकारी नीतियों से परिचित नही हैं । इसलिये इनको संगठित करने में अभी समय लगेगा ।

प्र. हालांकि आय का सौ प्रतिशत ही उपभोक्ता समूह उपयोग करते हैं, फिर भी दिये हुये समय में ये कितना कमाते हैं और उसे किस प्रकार प्रयोग करते है ?

उ. हम आपको तनहु जिला का एक उदाहरण देते हैं :-

एक सामुदायिक वन क्षेत्र २३५ हैक्टर १०२ लोगों को १९९३/९४ में सौंपा गया । जिसमें उन्होने रु १,१५२,२६०।- इकट्ठा किया । जिसमें से ६० प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ता को गया तथा बचा हुआ ४० प्रतिशत ग्रामीण विकास के कार्यों, जैसे पुल बनाना, पीने का पानी, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में उपयोग हुआ ।

बहुत से उदाहरण हैं कुछ उपभोक्ता समूह अपने चारे और ईधंन की आश्यकताओं को पूरा करते हैं और कुछ हैं जो वनीकरण में भाग लेते हैं । परन्तु फिर भी चारे और ईधंन की कमी से प्रभावित हैं ।

प्र. जबकि नियम नीतियां सभी कुछ सामुदायिक वनों के पक्ष में है उपभोक्ता समूहों को पूरा अधिकार है कार्य प्रणाली बनाने का, व्यवस्थापन का, उपयोग का पेड चुनने का, धन को उपयोग करने का, आदि फिर क्या समस्याये हैं ?

उ. वन नीतियां, नियम, उपनियम सब बहुत अच्छे हैं लेकिन समस्या है, उन्हें अच्छे ढंग से लागू करना । उदाहरण के लिये नीति निर्धारण कार्य रेखा में उपभोक्ता समूह के सदस्यों की सहभागिता आवश्यक है । परन्तु कुछ गिने चुने लोग ही यह सब तैयार करते हैं । यहां बिना बात के वन अधिकारी अपना रोब दिखाते हैं, और नियमों का उलंघन करते हैं । अन्य समस्या वनों का हस्तान्तरण हैं । सरकार अभी भी मानसिक तौर पर अधिक वन हस्तान्तरित करने के लिये तैयार नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत सारांश

सामुदायिक वन एक नया अध्याय है, एक नया कार्य है, जो समुदायों के लिये और सरकार के लिये है, इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये । सामुदायिक वनो को, बैंक में कितना पैसा जमा किया इससे नहीं नापा जाना चाहिये बल्कि उन्होंने लोगों में कितनी जन चेतना जगायी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति कितना जागृत किया, अधिकारों के लिये संघर्ष करने के लिया कितना प्रेरित किया, इस विषय से सोचना चाहिये । जब हम ऐसा करेंगे तभी सामुदायिक वन की भावना सफल होगी ।

संयुक्त सत्र

भविष्य की चुनौतियां

शुक्रवार २६ मई की सन्ध्या, "भविष्य की चुनौतियों" पर वादविवाद के साथ प्रारम्भ हुई । वक्ताओं कों चार समूहों में बांटा गया और निश्चित किया गया कि प्रत्येक निम्न लिखित तथ्यों पर वादविवाद करेगा ।

१. समुदायिक वन को समर्थन तथा एक दूसरे से जोड्ने के उपाय ।
२. महिलोओं की सहभागिता तथा उन्हे निर्णय लेने का हक देने के उपाय ।
३. स्थानीय संस्थाओ को सुदृढ बनाने, संस्था बनाने तथा प्रशिक्षण के उपाय ।
४. नीतियों, नियमों, उपनियमों को अधिकारयुक्त बनाने के उपाय ।

कार्य समूह समर्थन तथा सूत्रीकरण (अन्तर्सम्बन्ध)

प्रत्येक सहभागी ने अपने अनुभव सुनाये

दार्जीलिंग में एक जुटता तब शुरु हुई जब बहुत सारे ग्रामीण समुदायों ने वन सुरक्षा का कार्य प्रारम्भ किया । कुछ लोगों ने महसूस किया कि सूत्रीकरण से लोगों में वनों के प्रति जन चेतना जागेगी । उन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा वह स्थानीय समूहों को भी ज्ञान देंगे तथा सरकारी और स्थानीय लोगों में समाजस्य होगा । इसलिये १९८९ में "पर्यावरण संरक्षक परिसंघ" की स्थापना हुई । इस संस्था को १९९२ में पंजीकृत किया गया । सूत्रीकरण के सदस्य पर्यावरण संरक्षण संघ के सदस्य थे जो एक छोटी फीस देने के बाद सदस्य बनते थे । इस संगठन ने लोगों के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया, तथा उन्हे कानूनी सलाह दी । उन्होनें एक पत्रिका भी निकाली जिससे प्रत्येक सदस्य को दिया गया । समय समय पर सभी सदस्य इकाई के सदस्यों ने वन विभाग के भ्रष्ट आफीसरों के कार्यो की सूची भी बनायी और उसे विभाग को सौपां । अन्य सरकारी संस्थाओं ने जैसे 'राष्ट्रीय बंजर भूमि सुधार बोर्ड' ने भी संगठनो से सम्पर्क किया और वातावरण संरक्षण तथा पेड लगाने के लिये कहा ।

उत्तरी गुजरात में 'एकलव्य संगठन' की स्थापना हुई जो सदस्यता पर आधारित था । यह संगठन आदिवासी क्षेत्र में बनाया गया, जो लोग ज्यादा प्रभावित थे । इसमें स्थानीय लोगों को शिक्षित किया गया उन्हे अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया ताकि सरकार अपनी नीतियों मे बदलाव करे । 'एकलव्य संगठन' ने गैर-सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जन आन्दोलन किया, जिसका मुख्य लक्ष्य था गरीबों तथा आदिवासीयों को भूमि दिलाना । १९९३ मे लोगो ने पत्र बांटकर प्रचार किया तो सरकार को लगा कि इन गरीबों के वोट उनके जीतने के लिये बहुत जरुरी हैं, इसलिये उन्होने इन मांगो पर विचार करना स्वीकार कर लिया । अन्त में नवम्बर १९८४ में ८० किसानों को भूमि सर्टिफिकेट दिये गये । जिससे पार्टी की जीत हुई । पाटी के जीतने से लगता है कि अब भूमि हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

सहभागीहरू

१. घनेन्द्र काफ्ले, नेपाल यु.के. सामुदायिक वन योजना
२. डि.एस. रसाइली, वातावरण संरक्षण समाज महासंघ, दार्जीलिङ्ग, पश्चिम बंगाल
३. जी. राजु, भिक्सात, अहमदावाद गुजरात
४. एम.डी. मिस्त्री, दिशा, सवरकन्त गुजरात
५. भीमलाल सुवेदी, स्याङ्गजा, नेपाल
६. यम बहादुर आले, तनहुँ, नेपाल
७. राजीव आहल, कांगडा, हिमाचल प्रदेश
८. भीम प्रसाद श्रेष्ठ, राम बजार उपभोक्ता समूह, ओखलढुङ्गा, नेपाल
९. दीनेश पोखरेल, गुल्मी, नेपाल
१०. हरिप्रसाद न्यौपाने, भोजपुर नेपाल

एम. डी. मिस्त्री जो "दिशा" साबरकान्ता गुजरात के थे अपने अनुभव सुनाते हुये कहा कि महिलाओं को तेन्दु के पत्ते तोड्ने के लिये बहुत कम पैसा मिलता था । १९९२ में 'दिशा' ने वन विभाग पर मुद्दा किया जिससे अधिक पैसा देने के लिये कहा गया, १९९२ मे १०,००० आदिवासी लोग चल कर अहमदाबाद मुख्यमन्त्री के पास गये और पैसा बढाने की मांग की । मुख्य मन्त्री उनके मांगो के सामने झुके और एक समिति का गठन हुआ और पैसा बढा दिया गया ।

राजीव अहल जो हिमाचल प्रदेश की एक गैर-सरकारी संस्था से हैं, ने अपने अनुभव सुनाते हुये कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग २०० गैर-सरकारी संस्थायें प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन का कार्य कर रही है । परन्तु ये संस्थाये एक दूसरे से परिचित नहीं थी । जब १९९४ में ICIMOD ने ३ दिन की सभा की तब इन्हें एक दूसरे के विषय में पता चला । इस सभा में आपसी समझौता हुआ और यह निर्णय हुआ कि सब गैर-सरकारी संस्थायें एक दूसरे से जुडकर कार्य करेगी । वन तथा जलस्रोतों के लिये एक नौ सदस्यों की समिति का भी निर्माण हुआ । हरेक महिने में सभाएं होती थीं गैर-सरकारी संस्थाएं ही इन सभाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती थीं । समूहों के कठिन परिश्रम ने न केवल "वन विभाग" के कार्यों और आकार के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध करायी बल्कि "संयुक्त वन प्रबन्ध" को भी स्पष्ट किया । "संयुक्त वन प्रबन्ध" की नीति सम्बन्धी रिपोर्ट शुरु में केवल अंग्रेजी में ही था । बाद में इसे हिन्दी में अनुवाद करके वन सम्बन्धी मुद्दों और अधिकारों को अधिक से अधिक लागों के वीच स्पष्ट किया गया । "संयुक्त वन प्रबन्ध" का एक समीक्षात्मक विवरण निर्मित किया गया और इसेसभी सभाओं और साथ में "वन विभाग" को भी उपलब्ध कराया गया ।

अक्टुबर १९९४ में एक बडी सभा का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न संगठनो, गैर-सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा सरकारी संस्थाओ के लगभग ७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस समूह ने अब प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और सहभागी गांव विकास प्रक्रिया "पर प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय नीति स्तरीय सभा आदि के आयोजन के लिए 'हिमाचल वक्तव्य निकालने की योजना बनायी है । अक्टुबर महिने में "समन्वय समिति" फिर से बनायी गई और उसमें एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया । कार्यान्वयन के लिए कुछ मुद्धों का भी चयन किया गया । लेकिन यह प्रश्न बांकी ही रहा कि किस प्रकार इस समूह को एक संस्था में बदला जाए और कैसे ये गैर-सरकारी संस्थाएं एक संगठन बना सकें।

नेपाल के तनहुं जिल्ला में ७१ वन उपभोक्ता समूहों की गोष्ठी हुई । यम बहादुर आले के अनुसार इन संगठनो द्वारा एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और एक दूसरे की सहायता की जा सकती है । ऐसे संगठनो द्वारा जिला वन अधिकारी तथा स्थानीय लोगों के बीच के झगडों को सुलझाया जा सकता हैं । कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी - भी सुलझ नहीं पाए हैं, जैसे सदस्यता शुल्क, एवं जिला समन्वय समिति में समूह का प्रतिनिधित्व ।

इसी तरह से ओखलढुंगा नेपाल में भी सामुदायिक वन उपयोगी समूह का संगठन हुआ । समूह के सदस्यों ने यह महसूस किया कि वे सामुदायिक वन की धारणा को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । लगभग १० लोग जो विभिन्न वन उपभोक्ता समूहों से थे उन्होंने जिला वन अधिकारी को वनों को उपभोक्ता समूहों को सौपने के लिये कहा । करीब ४२ उपभोक्ता समूहों के ९० प्रतिनिधियों ने सभा में भाग लिया । इस सभा में जिला के विभिन्न भागों से बहुत सारे मुद्दे सामने आए । इस सभा का निष्कर्ष यह निकला कि उपभोक्ता समूह का एक अन्तर्सम्बन्ध (सूत्रीकरण) (Network) स्थापित किया जाए और एक कार्यकारी समिति बनायी जाए जो ६ महीने के अन्दर एक संविधान बनाए ।

गुल्मी के वन उपभोक्ता समूहों ने भी एक सूत्रीकरण की मांग की परन्तु जिल्ला वन अधिकारी ने उनकी यह मांग यह कहकर ठुकरा दी कि ऐसा कोई प्रावधान नही है ।

इसी तरह भोजपुर में कुछ वर्ष पूर्व वनों का बहुत तेजी से हस्तान्तरण हुआ। करीव ४० उपभोक्ता समूहों ने 'जिला स्तरीय समन्वय समिति' बनाने का सोचा। लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं होने कारण यह नहीं हो पाया । फिर भी इस जिले के 'रेन्जपोष्ट' के अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्रों मे से एक क्षेत्र के ४८ उपभोक्ता समूहों मे से ३० उपभोक्ता समूहों ने जिला वन अधिकारी और कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित कर 'सामुदायिक वन विकास' और 'ग्रामीण विकास मंच' की स्थापना की और इनहे जिला मुख्य कार्यालय में पंजीकृत किया। इस संस्था से उस जिले के सभी उपभोक्ता समूहों को इसमें सदस्य बनाया । सभी उपभोक्ता समूह अपना एक प्रतिनिधि इस संस्था में भेजे, यह आवश्यक नहीं कि वह प्रतिनिधि उस उपभोक्ता समूह का अध्यक्ष ही हो । प्रत्येक सदस्य ने साल मे १०० रु फिस के तौर पर दिया । चयित प्रतिनिधियों से एक समिति बनायी गई । स्थानीय स्तर और केन्द्रीय स्तर के बीच मध्यस्थकर्ता के रुप में इस संस्था ने वनों में फैलने वाली आग प्रति चेतावनी मूलक पोष्टर लगाए और दूसरे कार्यों के लिए प्रस्ताव भी बनाता रहा ।

समूह ने इस बात महसूस किया कि प्रभावकारी निर्णय या विचार विमर्श तभी संभव है जवकि मजबूत और संयुक्त संस्थाएं बनायी जाए, इसे एक भविष्य की चुनौति के रुप में देखा गया ।

संस्थागत उद्धेश्यों के पूरा करने के लिए समितियाँ बनाई गई

समिति बनाने के संबन्ध में जब लोग इकठे होने शुरु होते हैं तब अपने संभाव्य नेता को चुनने से पहले वे उसके बिषय में जानना चाहते हैं । आवश्यकताओं के पहचान के आधार पर समुदाय निर्माण निर्भर है । प्रशिक्षण यहीं से शुरु हो जाता है । पहला प्रश्न यह है कि किस प्रशिक्षित किया जाए । खुले रूप से प्रशिक्षण आरंभ होता है । खुले और विस्तृत सूचनाओं के आधार पर समुदाय अपनी आवश्यकताओ का चयन करता है और तब अधिक आवश्यक विषयों और प्रशिक्षण की ओर अग्रसर होता ।

कुछ प्रशिक्षण कार्य के बाद समुदाय ऐसे रुप में परिवर्तित होता है जो करीब-करीब सभीकार्यो को कर सकता है । यह गैर-सरकारी संस्था (पेग्लिनवानका) वैसी जरुरतों को पूरा करता है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद व्यावहारीक प्रयोग अवश्य होता हैं । उन्होने कहा कि यह संस्था नीति नियमों के लचीलेपन पर भी जोर देता है । फिर कहाकि मूल्यांकन और आलोचना को स्वीकार करने की प्रवृति भी महत्वपूर्ण है ।

सहभागी

१. राधा श्रेष्ठ, रामेछाप, नेपाल
२. कृष्ण सुवेदी, स्याङ्गजा, नेपाल
३. अनिल भट्टराई, चितवन, नेपाल
४. देवी अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक, नेपाल
५. मीना खड्का, कास्की, नेपाल
६. सुभद्रा अधिकारी, कास्की, नेपाल
७. लक्ष्मीदेवी खतिवडा, सप्तरी, नेपाल
८. उर्मिलावैन तवियार, सवरकन्थ, गुजरात
९. किन्क्रीदेवी सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, भारत
१०. निमुदेवी, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश, भारत
११. भगवती गौतम, काभ्रे, नेपाल
१२. हेमा कला, मन्डी, हिमाचल प्रदेश, भारत
१३. दिलसाद बेगम, गिल्गिट, पाकिस्तान
१४. दूर-ए-मर्जान, गिल्गिट, पाकिस्तान
१५. सुभाष मेन्धुपुरकर, जुब्बर, हिमाचल प्रदेश, भारत
१६. किरण भाटिया, काठमाण्डौ, नेपाल
१७. चण्डी प्रसाद भट्ट, चामोली, उत्तर प्रदेश
१८. शर्मिला कटुवाल, ओखलढुङ्गा, नेपाल
१९. ज्ञान कुमारी भुजेल, ओखलढुङ्गा, नेपाल
२०. श्रीमती कलावती, चामोली, उत्तर प्रदेश
२१. कमलीदेवी शर्मा, वाग्लुङ, नेपाल ।

निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढावा देने के उपाय

सभा के प्रारम्भ में निम्न शब्दो का उच्चारण हुआ

- महिला शक्ति
- स्वतन्त्रता
- रोजगारी मूलक शिक्षा एवं कुशलता विकास से संबंधित प्रशिक्षण
- नौकरी
- समान सहभागिता
- घर और बाहर समान अधिकार
- घरेलु उद्योग
- महिला संगठन हुआ
- महिलाओं की सांस्कृतिक धरोहर
- महिलाहों में शक्ति प्रत्यारोपण आदि।

सुभाष मेधापुरकर जो जब्बीर भारत से थीं, ने अपने अनुभव सुनाते हुये कहा कि मदिरापान एक गहन समस्या है, हिमाचल प्रदेश में । महिलायें इस मदिरापान अभ्यास को हटाना चाहती हैं । इसलिये १९८५ में बहुत सारी महिलाये मिल कर राजधानी गई । राज्य सरकार ने यह मार्च रोकने के लिये आदमियो से कहा कि वह अपनी औरतों को रोकें, नहीं तो सारे विकास कार्य रोक दिएजाएंगे । सर कार की धमकियों की परवाह किये बिना १८५ महिलाएं तीन दिन तक चलकर शिमला पहुंचीं और अपना विरोध प्रकट किया । हांलाकि इस मार्च का कोई खास प्रभाव नहीं पडा फिर भी औरतों को बाहर निकलने के लिये बढावा मिला ।

अभी ४०० से अधिक महिलाएं SUTRA की सदस्य हैं । इसमें महिलाओं को पुलिस से न डरना, सरकार तथा कचहरी के प्रति उनके भय को खतम करना, उनके नियमें तथा अधिकारों के विषय में उन्हें बताना कि तुम देवी, चन्डी, सीता और भृकुटी का रुप हो, तुम कमजोर नहीं हो । १६ से १९ साल की लडकियो को शारीरिक शिक्षा देना तथा नीजी हकों के विषय में बताना । उन्हें बलात्कार, शोषण आदि के विषय में सचेत रहने के लिए प्रेरित करना । मदिरा विक्रय के विरोध मे नारे भी लगाए गए । इस तरह के कार्य कलापों ने महिला को शक्ति सम्पन्न किया । और वे अब घर के भीतर उन पर होने वाले अत्याचारों को भी खुलकर सामने रखने में समर्थ हैं । कार्यक्रमो. के मूल्यांकन में विचार विमर्श के दौरान एवं नीति निर्माण के समय महिलाओं के हक हित, और उनकी सहभागिता के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है ।

चण्डी प्रसाद भट्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश में "चिपको आन्दोलन" एक महिला नेता गौरी देवी ने प्रारम्भ किया था । महिलाओं ने घर के लोगों के विरोध की परवाह किये बिना पेडो को बचाने का कार्य किया । इस आन्दोलन का मुख्य उदेश्य केवल पेडों को बचाना ही नहीं था वल्कि बंजर भूमि पर नये पेड लगाना भी था । यह आन्दोलन वन विभागका रवैया बदलने का कारण बना ।

स्यांगजा नेपाल की कृष्ण कुमारी सुवेदी ने बताया कि किस प्रकार उनके उपभोक्ता समूह को एक आदमी की ओर से अडचनों का सामाना करना पडा । उन्होने बताया कि तीन हैक्टर जमीन पर

उन्होंने पौधे उगाये और देखभाल की । एक आदमी ने कहा कि ये औरतें उनके पशुओं के चरने की जगह पर पेड उगाकर पैसे कमा रही हैं परन्तु जिला वन अधिकारी ने महिलाओं का समर्थन किया तथा पशुओं का वहां चरना बन्द कराया और उस आदमी को समझाया । अब इन औरतों का समूह मदिरापान और जुऐ के विरोध में कार्य आरंभ किया है । साथ ही और चार हेक्टर भूमिपर पेड लगाने का कार्य भी किया गया है ।

मीना पौडयाल ने WATCH के कार्यक्रमों के विषय में बताया । उन्होने बताया कि उनके संगठन के सदस्य गांवो में जाकर औषधियां तथा बीज बांटते हैं । पहले तो समुदाय के पुरुषों ने इसका विरोध किया और कहा कि उनकी महिलायें पढी लिखी नहीं हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है परन्तु संगठन के कार्य कर्ता महिलाओं से रसोई में मिले, खेतों में मिले, तो उन्हे उनकी प्रतिदिन की समस्याओं का पता चला । उन्हे ज्ञात हुआ कि इन महिलाओं को रोज ६ - ७ घन्टा चलकर जाना पडता है ईधन लाने लिये, चारा लाने के लिये, जिससे उनके पास अपने लिये १ घन्टा भी नही बचता । ईधन और चारे की समस्या को सुलझाने के लिये उन्हे वृक्षारोपण का कार्य दिया गया । पहले तो पुरुषों ने इसका विरोध किया परन्तु जब देखा पैसा आ रहा हैं तो चुप हो गये । अब पाचं उपभोक्ता समूह कार्य कर रहे हैं, जिसमें महिलायें भी है और पुरुष भी परन्तु सभी महिलाओं द्वारा संचालित हैं ।

तराई में जो लोग पहाडों से आये हैं उनकी सहायता से कार्य प्रारम्भ हुआ उन्हे खाद, मल आदि की जानकारी दी गयी अब वह अपने आप मल तैयार करते हैं । पीने को पानी की समस्या का समाधान हुआ । औरतों को उनके अधिकारों से अवगत कराया । देह व्यापार और लडकियों को बेचने के विरोध में भी महिला समूह कार्य कर रहे हैं । अब महिला समूह एक मोमबत्ती फैक्टरी भी लगाने जा रहा है ।

मीना के अनुसार सामाजिक जागृति तथा आय आर्जन से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा ।

स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाना, संस्था बनाना, प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार आदि के उपाय

स्थानीय संस्थाओ को मजबूत करने के संन्दर्भ में सबसे पहले 'आगा खां ग्रामीण विकास कार्यक्रम' का उल्लेख हुआ ।

आगा खां ग्रामीण विकास कार्यक्रम तीन विषयों पर जोर देता हैं:-
(१) संगठन (२) बचत तथा (३) क्षमता बढाना

इस संगठन ने गांवो में बहुत मजबूत संरचना की है, पुरुषों के लिये अलग तथा महिलाओं के लिये अलग संगठन बनाया है । महिलाओं के संगठन मे अगर महिलाओ में कोई पढा लिखा नही है तो पुरुष सदस्य बन सकता है । सदस्यों में एक अध्यक्ष बनता है, और एक सचिव, सदस्य अपने नियम तथा कार्य रचना, कार्य प्रणाली अपने आप बनाते है जिसके लिये उन्हें पैसा मिलता हैं । सभा में सब बचत करते हैं एक परिवार से एकसे ज्यादा सदस्य भी होते हैं । सभा के बाद कोषाध्यक्ष पैसा बैंक में जमाकर देता हैं । शिकारी जिसके पास परमिट होता हैं उसे रु ७,५००।- से २५,०००।- देने पडते हैं सरकार को, सरकार इसका ७५ प्रतिशत आगा खां संस्था को दे देता है । सभी समितियों को शायद बचत के

सहभागी

१. सोसान कुर्वान, गिल्गिट, पाकिस्तान
२. अलि शाह, गिल्गिट, पाकिस्तान
३. जर्ज पारिलनावान, फिलिपिन्स
४. डेनिस डेस्मोण्ड, भूटान
५. बुम्पेन केवोवान, थाईलैण्ड
६. मुरारीलाल, चमोली, उत्तर प्रदेश
७. कृष्ण देवी, चमोली, उत्तर प्रदेश
८. निमु देवी, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश
९. जी.राजू, अहमदावाद, गुजरात
१०. कुलभूषण उपमन्यू, चम्बा, हिमाचल प्रदेश, भारत
११. कुलदीप बर्मा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, भारत
१२. नारायण काजी श्रेष्ठ, काठमाण्डू
१३. नन्दलाल मज्दी, सुनसरी, नेपाल
१४. सेमाई चौधरी, सुनसरी, नेपाल

लिए पर्याप्त कोष नहीं हो इसलिए आगा खां संस्था और पांच शाखाओं (कार्यक्रम) का संचालन करता है ये हैं कृषि, व्यापार, वानिकी, लेखा और पशुपालन ये सभी समुदायों को लाभान्वित कर ते हैं । इन सभी शाखाओं एक विशेषज्ञ ग्राम्य स्तर पर प्रशिक्षण और तकनीकि सहायता उपलब्ध करातें है । इन शाखाओं (कार्यक्रम) के कारण समुदाय की बचत शक्ति बढी है ।

कृष्णा देवी ने फिर उत्तर प्रदेश के "महिला मंगल दल" का परिचय कराया । यह दल पहले वन सुरक्षा में व्यस्त था परन्तु बाद में फल इकट्ठे करके उन्हे बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा किया गया । दस वर्ष पुराना होते हुए भी यह अभी भी अनौपचारिक है ।

"सर्वोदय" के मुरारी लाल ने कहा कि साल में दो बार खेती, वानिकी मधु मक्खी पालन, और ऊन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, गांव की महिलायें जो पढी लिखी नहीं है उन्हे प्रशिक्षण के लिये चुना जाता है । ये महिलायें सीख कर और बाकी औरतों को सिखाती हैं । यह समूह नर्सरी भी लगाते है जो पौध बाटंते हैं ।

जार्ज पेग्लीनवान ने कहा कि वहां समूह तब तक कार्य नहीं करते जब तक उनकी आधारभूत जरुरतों को न छुआ जाये । फिलिपिन्स के उनके संस्था ने विभिन्न लोगों को चुना उन्हें प्रशिक्षण दिया । कुछ लोग अधिक बोलते हैं और कुछ कम बोलते हैं, कुछ लोग पूछते है कि हम समूह में क्या भाग लेंगे, निर्णय कौन करेगा । किसको पहले शिक्षा दी जाये ? संस्थागत उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए समितियां बनायी गई । समिति बनाने के सम्बन्ध में जब लोग इकट्ठे होने शुरु होते हैं तब अपने संभाव्य नेता को चुनने से पहले वे उसके बारे में जानना चाहते हैं । आवश्यक्ताओं के पहचान के आधार पर समुदाय निर्माण निर्भर है । प्रशिक्षण यहीं से शुरु हो जाता है । पहला प्रश्न यह है कि किसे प्रशिक्षित किया जाए । खुले रुप से प्रशिक्षण आरंभ होता है । खुले और विस्तृत सूचनाओं के आधार समुदाय अपनी आवश्यकताओं का चयन करता है और तब अधिक आवश्यक विषयों और प्रशिक्षण की ओर अग्रसर होता है ।

कुछ प्रशिक्षण के बाद समुदाय ऐसे रुप में परिवर्तित होता है जो करीब-करीब सभी कार्यों को कर सकता है । जहां तक संभव होता है प्रशिक्षण समुदाय अन्तर्गत ही दी जाती है । यह गैर-सरकारी संस्था (पेग्लिनवान) वैसी जरुरतों को पूरा करता है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक होता है । उन्होंने कहा कि यह संस्था नीति नियमों के लचीलेपन पर भी जोर देता है । फिर कहा कि मूल्यांकन और आलोचना को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है । कुल भूषण उपमन्यू ने बताया कि उनका समुदाय हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा हैं । इनका समूह प्राकृतिक स्रोतो के संरक्षण का कार्य कर रहा हैं । गैर-सरकारी संस्थाये प्राकृतिक स्रोतों जैसे भूमि, वन, पानी आदि के संरक्षण में संलग्न है । इनका संगठन लोगों को भू, वन तथा पानी के संरक्षण का प्रशिक्षण भी दे रहा है ।

काजी श्रेष्ठ ने बताया कि वनों के राष्ट्रीयकरण से नेपाल में वन व्यवस्थापन प्रणाली लगभग समाप्त हो गयी हैं । जब पंचायत द्वारा सुरक्षित वन स्थानीय अधिकारियों को सौंपे गये तो उन्होने वनों को बचाने के स्थान पर वनों का नाश ही कर दिया । जो वन समुदायों को दिये गये वह सुरक्षित हैं । जो लोग वनों के पास रह रहे हैं वही वनों की सुरक्षा कर सकते हैं । किसी शक्तिशाली को वनों का संरक्षण देने का मतलब वनों का नाश करवाना है । क्योंकि वह उन वनों से पैसा कमाना चाहते हैं ।

१९७८ से लेकर १९८४ के बीच ४१३ उपभोक्ता समूह समितियां बनी लेकिन उसके अधिकतर सदस्य पढे लिखे तथा उच्च स्तर के थे जो कभी वन में गये ही नही थे । समुदायिक वन प्रणाली नेपाल में दातृ संस्थाओ द्वारा प्रारम्भ हुई जिसे वे कार्य प्रणाली अंग्रेजी मे लागू करना चाहते थे । ऐसी स्थिति में वन समितियों को पता नही चलता था कि वे क्या करें इसलिये कोई कार्य नही हो पाता था । बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और अधिक तर पैसा पंचायत राज्य के अधिकारियों की जेब में चला गया । असल में अधिकतर लोगों को वन के नियमों तथा उपनियमों की जानकारी नहीं थी । यहां तक की वन अधिकारी भी इससे अनभिज्ञ थे इसलिये सरकार तथा वन परियोजना ने वन आफीसरो तथा स्थानीय लोगों से मिलकर कार्य करने का निश्चय किया । पहले दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देखा गया कि दोनों में जिला वन अधिकारी भाग नहीं लेना चाहते थे । साथ ही केवल वन अधिकारियों को ही वन हस्तान्तरित करने का अधिकार था ।

वन हस्तान्तरित करने के समय में गांव को विभिन्न समूहों में बांटा जाता था । जिसमें ८-१० लोग होते थे वे अपने नियम अपने आप वनाते थे । वन व्यवस्थापन के विषय में बताते थे । एक बार जब नियम वन विभाग पास कर देता है तो वन सौंप दिया जाता हैं ।

जी. राजू जो गुजरात से हैं उन्होने बताया गुजरात के विभिन्न गांवो में सहकारी समितियां हैं जो प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है और इन समितियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अपने आप को संगठित किया है ।

डेनिस डेसमन्ड ने भूटान के विषय में बात.करते हुये बताया कि भूटान में वन सम्बन्धी प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है । समुदायिक वन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये विदेशों का ज्ञान तथा भ्रमण की आवश्यकता है ।

बूमपेन केवान ने कहा कि थाईलैण्ड में गांव समितियां ही निश्चित करती हैं कि सामुदायिक वनों से क्या चाहिये । अभी तक वन स्रोत समूह के सदस्य में वितरित होते थे उन्हे बेचा नहीं जाता था । सारी आय गांव समिति के कोष में जाती हैं, उपभोक्ता समूह के कोष में नहीं, समुदायिक समुद्र संदर्भ में सभी मछुआरे स्वतः सदस्य हैं ।

नीतियां, नियम, उपनियम लागू करने के उपाय

इस समूह में सहभागियों ने अपने अपने देश कीं स्थितियों का वर्णन किया ।

भारत: - गुजरात में सरकार तथा राजनीतिज्ञ वनों तथा उनसे सम्बन्धित लोगों से कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं । सरकार, लोगों से ज्यादा मुनाफा कमाती है । समुदायों को नीति निर्धारण में कभी शामिल नही किया जाता इसलिये प्राय: सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियां असफल हो जाती हैं । इसलिये नीतियां सदैव लोगों के लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनानी चाहिये ।

नेपाल:- नेपाल में मुख्य अडचन राजनैतिक दल है । नियम तथा उपनियम अधिकारियों द्वारा अपने फायदे के लिये बदल दिये जाते हैं । उदाहरण के लिये पिछले ३० सालों से भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ हैं, और सरकार जो भी कहता है उसे ही भूमि का स्वामित्व प्रदान कर देती है । कुछ लोगों को उनकी भूमि के अधिकारों से वंचित किया जाता है । इसके लिये स्पष्ट नीति होनी चाहिये । वन नियम बन गये है, परन्तु उन्हे अभी तक लागू नहीं किया गया है । इसके अलावा नीति तथा नियमों में समयानुसार बदलाब होना चाहिये । इसके अलावा वन विभाग की तरफ से दिया जाने वाला पैसा प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकतानुसार होना चाहिये । सामान्यता कृषि वनों को बढावा तथा प्राकृतिक वनो को समूहों को हस्तान्तरित करना चाहिये ।

फिलीपिन्स:- गैर-सरकारी संस्थाओं ने समुदायों को बंजर भूमि पर पेड लगाने के लिये कहा है, परन्तु लाभों को बांटा नही है । समुदाय सदस्यों को केवल मजदूरी दी गयी है । जव आफीसर बदलता है तो नीतियां भी बदल जाती हैं ।

थाईलैण्ड:- सरकार की सामुदायिक वन संबन्धित कोई नीति नहीं है, केवल पुराना व्यवस्थापन चल रहा है । सरकार व्यवसायिक पहलुओं पर जोर देती हैं, जो जरुरतों के अनुसार बदलता है । बहुत सारी विन्तियों के बाद सरकार ने इस विषय पर सोचनें के लिये मान लिया है, परन्तु अभी भी बहुत विरोध है।

पाकिस्तान:- "आगा खां ग्रामीण विकास कार्यक्रम" को ही सरकार ने पूरे देश मे लागू किया है । इससे सामाजिक वनो को बढावा मिला है । यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है । यही नीति निर्धारित करती हैं ।

इसके अलावा आगा खां ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न स्तर से लेकर प्रशिक्षण का प्रबन्ध है जिसमें १२,००० गांवो के माहिर लोग तथा ७०० गांव के वनों के माहिर लोग शामिल हैं । ये लोग गांवो मे जाकर स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करते हैं ।

समूह के अनुसार वनों का व्यवस्थापन उपभोक्ता समूहों के हाथ में होना चाहिये तथा उन्हे राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त होना चाहिये ।

सहभागी

१. अली गुहार, गिल्गिट, पाकिस्तान
२. पियरमसाक माकाराभिरोम, थाईलैण्ड
३. फेलिसिशीमा पियाला, फिलिपिन्स
४. खगेन्द्र सिक्देल, रामेछाप, नेपाल
५. झालाभाई रथ्वी, अहमदावाद, गुजरात
६. गणेश बहादुर कार्की, दोलखा, नेपाल
७. बुम्पेन केववान, थाईलैण्ड
८. डिन सिंग्टो, थाईलैण्ड
९. एम.डी. मिस्त्री, सबरकान्ता, गुजरात

	नेपाल	भारत	पाकिस्तान	फिलिपिन्स	भूटान
कानून	१९९३	१९२७	१९७७	?	१९७२ बना
सामुदायिक वन पर टिप्पणी	हाँ	ना	ना	हाँ	हाँ
अन्य सरकारी संस्था	–	१९९१ मा सरकारी आदेश	–	रुपरेखा	आन्तरिक नियम
नियम	१९९५	राज्यभूमि पृथकीकरण			
भागीदारी कीं भूमिका	बहुत ज्यादा	कम	साधारण	साधारण	अधिक
अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाये	अधिक	कम	कम	सामान्य	अधिक
गैर-सरकारी संस्था	सामान्य	अधिक	सामान्य	अधिक	कम

सातवाँ दिन
मई २७, १९९५
शनिवार

सुबह के सत्र में देश की कार्य नीतियां बनाने में समय व्यतीत हुआ, सभी ने एक बात ही कही कि हम विश्व को बदल नहीं सकते पर फिर भी अगर हम सब मिलकर कार्य करे तो ज्यादा कार्य कर सकते है, अकेले कार्य करेगें तो कम काम होगा । सहभागियों से कहा गया कि वह कार्य प्रणाली बनाते हुये ये बात ध्यान रखें कि वह अकेले क्या कर सकते, हैं और मिलकर क्या ।

पोष्टर आदि बनाये गये और ६ भाषाओं में प्रश्न पूछे गये जिनमें नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, थाई तथा तैगलौग भाषा का प्रयोग किया गया । एक सहभागी ने कहा की जो अनुभव हमने एक दूसरे से बांटे है उन्हे कैसे प्रयोग करें ।

थाई और फिलिपीनो सहभागी सुबह के सत्र के बाद ही जा रहे थे, इसलिये इस समय ही सब सहभागी एक दूसरे से विदा लेने लगे और बांकी सहभागिओं को अपने यहां आमन्त्रित भी करने लगे । सबका एक ही मत था "अगर हम मिलकर कार्य करेंगे तो अधिक कार्य कर सकते है यदि परेशानियां भूल जाएं" ।

देश कार्य प्रणाली तथा उपाय

पाकिस्तान

प्रस्तुस्तीकरण इस प्रश्न, से शुरु हुआ, की इस कार्य गोष्ठी केबाद आगा खां ग्रामीण विकास संगठन किस प्रकार से अपने गावों के सुधार का कार्य करेगा ।

पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रके लिये कार्य प्रणाली

इस क्षेत्र मे वन विकास के लिये महिलाओं को शामिल नही किया गया है । वन काटने के वजह से ईन्धन मे कमी आयी है, उन्होनें इस कार्य के पूरा करने के लिये पेड उगाने का काम पुरुषों को दे दिया है । इस से पता चलता है कि :

- महिलाओंको वन सम्बन्धी प्रशिक्षण देना चाहिये ।
- महिलाओं पर धार्मिक आर्थिक अन्य प्रतिबन्ध होने के कारण वो भाग नहीं ले पाती । अब आगा खां संगठन महिलाओं को इन कार्यों मे आगे लानेका प्रयास करेगा
- अब आगा खां संगठन इसिमोड से अन्य बातें सिखने का अवसर पायेगा और उन्हे अपने देश मे लागू करेगा ।
- महिलाओं को बाहरी संस्थाओं से सहायता मिलनी चाहिये ।

आगा खां संगठन की नीति निर्धारण में भूमिका

- यह निश्चित किया गया कि आगा खां संगठन नयी नीतियों का निर्माण करेगा , सभाओं तथा कार्य गोष्ठियों की आयोजना करेगा ।
- आगा खां संगठन राष्ट्रीय स्तर पर सभी समितियों मे सामान्जस्य स्थापित करेगा ।
- आगा खां संगठन का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ बहुत अच्छे संबन्ध है, वह नीति निर्धारण के लिये इनसे सहयोग ले सकता है ।

निम्न स्तर से लेकर, प्रशिक्षण कार्य आगा खां संगठन द्वारा, चल रहा है जिसमे गावं के १२,००० विशेषज्ञ शामील है । इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के माहिरों को भी प्रशिक्षण देने के लिये बुलाया जाता है । इस प्रशिक्षण से किसानों के खेती करने के ढंग में सुधार हुआ है ।

भूटान

डेनिस डेसमण्ड जो संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि हैं ने बताया कि उनका कार्यकाल २ वर्ष का है जिसमें वे भूटान में सामुदायिक वन को सुदृढ करनेका प्रयास करेंगा । उन्होने कहा की उन्होंने कोई कार्य रेखा भूटान के लिये नहीं बनायी पर अपने लिये कार्य रेखा बनायी है ।

नीति नियम तथा उप-नियम

भूटान मे नीति तथा नियमों का निर्धारण विधान सभा में होता है । नीति निर्धारण और परिवर्तन के समय केवल वन सेवा विभाग ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन भी इस विचार विमर्श में सम्मिलित होने चाहिए । यह लोगों तक पहुंचनेका पहला कदम होगा ।

लिंङ्ग समानता के मुद्दे एक मुख्य बात भूटान मे यह है कि, वन विभाग की नौकरी में महिलाओं की कमी है । दूसरा सामुदायिक वन के नीति नियम निर्धारण में लोगों की और महिलाओं की सहभागिता की कमी है । जैसा कि यह मेरी जिम्मेवारी है, और नीतियों का निर्माण भी अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैं यह सलाह दुंगा कि निर्माण की प्रक्रिया और व्यवस्थापन योजना की तैयारी में उपभोक्ता समूह के पहचान में परिवर्तन हो । सूत्रीकरण, समन्वय आदि मुख्य समस्याएं नहीं हैं बल्कि सर्व प्रथम उपभोक्ता मंच आवश्यक है ।

प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि एवं अनुभवों का आदान-प्रदान

मैं प्रशिक्षण संस्थान में कार्य करता रहुंगा, यह मेरे लिए एक अनुभव होगा । सबसे आधारभूत बात यह कि वन कर्मचारियों के सोच में परिवर्तन एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता । सामुदायिक वानिकी लागू करने के लिए सबसे पहले जानकारी और कुशलता की आवश्यकता है, इसके लिए पडोस के देशों में भ्रमण कर जानकारी हासिल करना होगा । इसमें वन के उच्च अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । भूटान मे दो वन प्रशिक्षण संस्थान हैं एक वन सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है, और दूसरा वन प्रशिक्षण जो १० कक्षा के बाद ३ वर्ष का कोर्स है । यह जिला रेन्जरों के लिए है जो सही अर्थ में सामुदायिक वानिकी लागू कर रहे हैं । भविष्य मे हम आशा करते है कि भूटान से भी उपभोक्ता समूह के सदस्य भाग लेने के लिये आऐंगे । दूसरा मुद्दा है, संचार के माध्यमों को बढाना । हमारा एक विभाग भूटान में वर्तमान में हो रहे वन संबन्धी क्रिया कलापो. को एक "समाचार पत्र" के माध्यम से प्रस्तुत करता है । मैं, दूसरे देशों में हो रहे वन क्रिया कलापों को इसमें प्रकाशित करने की कोशिश करुंगा । पूर्व प्रस्तुत नियमों को मैं इसमें सरलता के साथ प्रकाशित करने की कोशिश करुंगा ताकि ग्रामीण स्तर के लोग भी इसे समझ सकें । क्यों कि अभी ये नियम अत्यधिक तकनीकि भाषा में लिखे गये हैं । मैं दातृ संस्थाओं के साथ भी अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहुंगा ताकि उपर्युक्त कार्यक्रमों को सहजता के साथ लागू किया जा सके ।

हालांकि थाईलैण्ड और फिलिपीन्स के प्रतिनिधि पहले ही चले गये थे परन्तु वह कार्य रचना प्रणाली बनाकर गये थे ।

थाईलैण्ड

गावं तथा समुदाय स्तर पर

- कार्यगोष्ठी तथा सभाओंका आयोजन करना, उनसे जानकारी हासिल करना तथा १४ राज्यों में सामुदायिक वन परियोजना लागू करना
- सामुदायिक विकास के लिये गोष्ठियों का आयोजन
- गांवों में वन लगाने का कार्य प्रारंभ करना
- वन सम्बन्धी नयी खोज करके निष्कर्षको लागू करना
- गांवो में समुदायिक वन समूहों के कार्यक्रमों को बढावा देना

उपक्षेत्रीय स्तर

- क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सतह पर मदद करना
- क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन करना
- सामुदायिक वन के लिये रुपरेखा तथा कार्य प्रणाली देना
- राष्ट्रीय संस्थाओ तथा सामुदायिक वन समूहों में सामन्जस्य स्थापित करना

राष्ट्रीय स्तर

- राष्ट्रीय स्तर पर समुदायिक वन के कार्यो को बढावा देना
- थाईलैण्ड में समुदायिक वन के लिये रुप रेखा तैयार करना
- सरकार को समुदायिक वन वनाने के लिये जोर देना

फिलीपिन्स

स्थानीय समुदाय विचार

- शिक्षा तथा गोषठियां
- विस्तृत जानकारी

क्षेत्रीय

- क्षेत्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विर्मश
- स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओ का एक सूत्री करण
- पी. आर. ए गोष्ठी

राष्ट्रीय

- नीतियां
- कांग्रेस की विशिष्ट सभा

संस्थागत

- समाचार पत्र छापना, जानकारी का आदान-प्रदान
- ठोस कदम-सभा तथा गोष्ठियों का आयोजन
- एक दूसरे देश में भ्रमण

भारत

भारत की ओर से प्रस्तुतीकरण में "संयुक्त वन व्यवस्थापन" तथा "वन स्रोत" जो सभी राज्यों को प्रभावित करते हैं, की चर्चा हुई । इसके अलावा प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि ने कार्य प्रणाली तथा नीतियों की चर्चा की ।

राष्ट्रीय स्वरूप तथा विषय

भारत में केन्द्रीय वन नियम हैं, जो वनों के व्यवस्थापन के लिये हैं यह नियम पूरे देश में लागू है । राज्यों में अलग उपनियम हैं, जो पंचायत से शुरु होकर ग्रामीण संस्थाओं तथा वन सुरक्षा समितियों तक जाते हैं ।

आज मुख्य विषय हैं, "ग्राम वन तथा ग्रामीण समुदायिक वन स्रोत" हमें इन विषयों का समर्थन करना हैं तथा इनके व्यवस्थापन को बढावा देना हैं ।

एक दूसरा सोचने का विषय है नयी नीति में वन क्षेत्र का छोटा होना । जो वन ठीक नहीं है उन्हें सरकार कारखानों तथा फैक्ट्री लगाने के लिये दे रही हैं । जो कि एक खतरनाक कदम है । हमें इसके विरोध में कार्य करना चाहिये क्यों ऐसा करके सरकार वन स्रोतों को हमसे छीन रही है खास तौर पर भूमिहीनों तथा गरीबों पर इसका बहुत असर होगा ।

राज्य स्तर पर एक विषय है जो हम सबको प्रभावित कर रहा हैं, वह है पंचायत और गांव समितियों के आपसी सम्बन्धों का अच्छा न होना । इससे भविष्य में बुरा प्रभाव पड सकता है ।

राज्य स्तर पर अब यह आवश्यक हो गया हैं सभी समुदायों संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थाओ में आपसी सम्बन्ध हो तथा विचारों का आदान प्रदान-प्रदान हो । हम कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाये जिससे क्षेत्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे से विचार बांट सके । इसमे ICIMOD एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । अबकी बार हम सब मिलकर कार्य करें तब इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं ।

गुजरात

गुजरात में बहुत पहले से ही गांवो में सहकारी समितियां है । अब हमें लगता हैं कि राज्य स्तर पर सरकारी, गैर-सरकारी, तथा व्यक्तिगत संस्थानों के बीच में सामन्जस्य होना चाहिये । अब हम दो दिन की गोष्ठी करेंगे जिसमें राज्य स्तर पर सामुदायिक वन विकास के उपायों पर विचार किया जायेगा तथा इस गोष्ठी का मुख्य उदेश्य आपस में विचारों का आदान-प्रदान, तथा साधारण समस्याओं के विषय में सोचना तथा उनके उपाय सोचना ।

इसके अलावा हमनें इस कार्य गोष्ठी से दो बातें सीखी हैं जिन्हें हम अपने प्रदेश गुजरात में लागू करेंगे पहली बात तो यह है कि हमारे यंहा लोगों को नीति निर्धारण का अधिकार नही, हैं हमे उम्मीद है कि हम इस विषय में लोगों को सचेत करेंगे तथा दुसरा हम वन विभाग को भी जोर देंगे कि "वन विकास" के कार्यों को सहकारी एवं संगठित संस्थाओं के माध्यम से बढावा दे न कि केवल अपने स्तर पर ।

हिमाचल प्रदेश

हम ६ लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश से आये हैं और हम विभिन्न संस्थानो से हैं । परन्तु हम सभी कार्य समूह के सदस्य हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित है । यह संस्था १९९४ से कार्य कर रही हैं इसमें ५० लोग है और गैर-सरकारी संस्थाये भी है ।

हम इस कार्य गोष्ठी के विचार विमर्श बाद इस नतीजो पर पहुंचे है कि अब हमें भी हिमाचल प्रदेश में वन व्यवस्थापन तथा सामुदायिक वन परियोजना के लिए रुप रेखा तैयार करने चाहिए । नेपाल के सामुदायिक वन व्यवस्थापन को देख कर हमारी सोच निश्चित हो गई है और हम हिमाचल प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दृढ हैं ।

हमारी कार्यनीति इस प्रकार हैं

- नेपाल कार्य गोष्ठी के अनुभवों को संजोना तथा बाकी कार्य समूहों के सदस्यों में बांटना जिससे कि वे सामुदायिक वन का विकास करें तथा स्थानीय संस्थाओं का विकास हो ।
- कार्य समूहों को संगठित करना तथा गांव संगठनो तथा वन विभाग तथा सरकारी संस्थाओं का विकास
- वनों का बडा हिस्सा देने के लिये जनता का समर्थन करना
- प्राकृतिक स्रोतो के व्यवस्थापन के लिये नीति निर्माण के लिए सजगता से काम करना।
- हिमालय क्षेत्र के देशों के साथ विचारों का आदन-प्रदान करना जिसमें ICIMOD महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

त्रिपुरा

हमने सामुदायिक वन क्रियायें अभी २-३ वर्ष पहले ही शुरु की हैं । यहां इस कार्य गोष्ठी में आने के बाद और नेपाल तथा अन्य देश के लोगों से मिलने बाद हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं । लौटने पर हमनें निम्न लिखित कार्य करने का सोचा है :-

- गांव स्तरीय संस्थाओं का निर्माण जिसका मुख्य उद्धेश्य अधिक से अधिक महिला मण्डल बनाना है ।
- सरकार द्वारा बनाये गये वन नियमो का विश्लेषण करना
- अगर जरुरत पडी तो वन विभाग के आफीसरों से भी वन नियमो में परिवर्तन के लिये बात करेंगे ।
- इन नियमों को कृषको तथा गांव स्तर के संस्थानो में फैलाना
- वन विभाग, गैर-सरकारी संस्थान तथा सामुदायिक संस्थानों के बीच वन व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठियों का आयोजन करना
- अन्य राज्यों जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सम्बन्ध बनाना तथा अर्न्त-राष्ट्रीय भ्रमण का आयोजन करना

- अर्न्तराष्ट्रीय भ्रमण जैसे नेपाल, का आयोजन करना
  - वन व्यवस्थापन के लिए धन एकत्रित करना

पश्चिमी बंगाल

दार्जिलिंग की पर्यावरण संरक्षण समिति के सौजन्य से बंगाल की कार्य नीतियां इस प्रकार हैं :-

(१) हमारे बोर्ड की मीटिङ्ग
(२) सदस्य समितियों की सभा
(३) वन संरक्षण समिति की सभा तथा उन्हे जानकारी देना और जो कुछ भी हमनें ICIMOD की कार्य गोष्ठी से सीखा है उन्हे सबके साथ बांटना ।

- हम वन सुरक्षा तथा व्यवस्थापन कार्य को सुदृढ करने का कार्य करेंगे तथा इस संगठन को वैध घोषित कराने पर जोर देंगे ।
- सलाह और विचार के लिए हम दार्जिलिंग तथा सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ बराबर सम्बन्ध बना कर रखेंगे ।

नेपाल

नेपाल में कार्य प्रणाली के दो हिस्से हैं । एक तो उपभोक्ता समूहों की नीति निर्माण में सुधार और दूसरा महिलाओं की सहभागिता को, निर्णय लेने में, तथा सामुदायिक वन में, बढावा देना ।

नीतियां तथा नियम

- परेशानी तब होती हैं जब उपभोक्ता समूह एक सही तरीके से नहीं बनाये जाते । इसे हटाने के लिये यह जरुरी है कि उपभोक्ता समूहों का चुनाव ठीक ढंग से हो तथा पूरे समुदाय की इच्छा से हो ।
- जबकि तराई में सामुदायिक वन कार्यक्रम तथा वन हस्तान्तरण कार्यक्रम शुरु नहीं हुये हुआ, इसलिये इन्हे तुरत लागू करना चाहिये । तराई क्षेत्र के आफीसरों को भी सामुदायिक वन के तरीकों की शिक्षा दी जानी चाहिये ।
- जबकि उपभोक्ता समूह छांटने की जिम्मेदारी वन आफीसरों तथा गैर-सरकारी संस्थाओ की हैं इसलिये वन आफीसरों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये कि, किस प्रकार नयां समूह बने और वह किस प्रकार गांव वालो के साथ कार्य किया जा सकता है।
- वन अफसरों का मूल्यांकन उनके सामुदायिक कार्यों के अनुसार होना चाहिये ।

वन उपभोक्ता समूहों का राष्ट्रीय संगठन का निर्माण

- इस योजना को मजबूत बनाने के लिये जिला, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने चाहिये इसके कार्यो तथा जिम्मेदारियों और अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हो ।

- इस में जिला प्रतिनिधियों का संगठन के साथ सम्बन्ध होना चाहिये ।
- सूचना बांटनी चाहिये तथा सभी क्षेत्रों में उसका फैलाव होना चाहिये ।
- क्योंकि उपभोक्ता समूह वन विभाग के अंर्तगत पंजीकृत हैं इसलिये सी. डी. ओ. कार्यालय में भी उपभोक्ता समूह का निश्चित स्थान होना चाहिए । उपभोक्ता समूहों को गैर-सरकारी संस्थाओं का दर्जा देना चाहिये ।

महिला सहभागिता सम्बन्धी मुद्दे या विषय

- उपभोक्ता समूह में महिलाओं तथा पुरुषों, दोनों के नाम नामावली में होना चाहिये ।
- किसी भी सभा को पुरक करने के लिये महिलाओं का एक उल्लेखित नम्बर होना जरुरी हैं ।
- वन सम्बन्धी कार्यक्रमों में महिला समूहों को सहभागी बनाना आवश्यक है ।
- महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक भाग सुरक्षित हो ।
- विकास के कार्यक्रमों तथा विचारों के आदान-प्रदान में महिलाओं को शामिल करना जरुरी हैं ।
- सामुदायिक वन कार्यक्रमों से अर्जित धन का एक हिस्सा महिला विकास कार्यक्रमों तथा उन्हे आत्म निर्भर बनाने के लिये प्रयोग होना चाहिये ।
- सभायें प्रशिक्षण कार्यक्रम, पत्रिकायें, नीतियां, महिलाओं तथा गरीब लोगों को उपर अधिक केन्द्रित होनी चाहिये ।
- क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन हो, जिसमें महिलाये भी भाग ले सकें तथा अपने अनुभव बता सकें ।

राष्ट्रीय समुदायिक वन उपभोक्ता समूह संगठन नेपाल

एक बडा फैसला किया गया जिसमें नेपाल में राष्ट्रीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संगठन का निर्माण हुआ । एक कार्यकारी समिति बनायी गई जिसमें १३ सदस्य थे ।

क्षेत्रीय महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

कार्य गोष्ठी समाप्त होने से कुछ देर पहले ही सहभागी महिलाओं ने एक विषय पर जोर दिया कि उनकी आवाज ठीक ढंग से सुनी नही जाती इसलिये वह अपना अलग क्षेत्रीय संगठन बनायेगी । इस बात का संयोजको ने स्वागत किया तथा तुरत ही नेपाल, भारत, पाकिस्तान की २० महिलाओं ने वाद विवाद में भाग लिया । महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के अधिकार, नीति, निर्माण आदि पर जो चर्चा हुयी इस गोष्ठी में इस चर्चा में अधिकतर पुरुष शामिल थे । विचार विमर्श में भी महिलाओं को कम अवसर मिला । भारतीय महिलायें नेपाली गांवो में जाकर महिलाओं के अनुभवों को बांटना चाहती हैं ।

एक क्षेत्रीय समिति का निर्माण हुआ जो विभिन्न महिला उपभोक्ता समूहों को एकत्रित करके गोष्ठी का आयोजन करेगी । इस समिति में:-

नेपाल

- पद्मा सग्रौला
- राधा श्रेष्ठ
- देवी अधिकारी
- माया खनाल
- विष्णु ढकाल
- कमला शर्मा
- रुक्मिणी कार्की

भारत

- हेमा काली
- कमला बेन भोगरा
- कलावती देवी

पाकिस्तान

- सोसन कुर्बान

कुछ निर्णय तुरत्त ही लिये गये जैसे

- कार्य गोष्ठी नेपाल में होगी और इसकें संगठन तथा आयोजन का कार्यभार महिलाओं को सौपा जायेगा ।
- महिलाएं सम्बन्धी समस्यायें, पर्यावरण तथा वन इस कार्य गोष्ठी के विषय होगें।
- नेपाल के सदस्य एक महीने के भीतर ही ग्रामीण महिला सम्बन्धी समस्याओं के मुख्य विषय लिखकर भेजेंगे
- गांवो में महिलाओं सम्बन्धी समस्याओं को पत्रों द्वारा नेपाल में भेजा जायेगा जिससे कि कार्य गोष्ठी की रूप रेखा तैयार की जा सके ।
- उपभोक्ता समूह, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तिगत समितियों को, महिलाओं को भी आमन्त्रित करना चाहिये ।

ICIMOD ने क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित किया जो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों से सम्बन्धित था ।

एक दूसरे के विचारों तथा ज्ञान को बांटने का प्रस्ताव सुनकर ICIMOD के प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि एक क्षेत्रीय समाचार पत्र निकाला जायेगा जिसमें मुख्यत: सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों सम्बन्धी समाचार होगें । हालांकि कार्य गोष्ठी से लोगों को अपने विचारों तथा अनुभवों को बांटने का एक अच्छा अवसर मिला है फिर भी कुछ ऐसा

तरीका होना चाहिये जिससे हम अपने अनुभव हिमालय क्षेत्र के परे और लोगों से भी बांट सके और समाचार पत्र इसका एक प्रभावशाली तरीका है ।

इस सन्दर्भ में बहुभाषी त्रैमासिक पत्र प्रकाशित करने का निर्णय किया गया । सभी सहभागियों ने समाचार पत्र प्रकाशित करने का स्वागत किया ।

अन्तिम सत्र

रात के भोजन के बाद कार्य गोष्ठी का अन्तिम सत्र शुरु हुआ जिसमें लोक गायक मंजुल ने गाने गाये तथा तराई का थारु नृत्य प्रस्तुत किया गया । सभी देशों के सहभागियों ने इसमें भाग लिया ।

रात को ११ बजे अन्तिम सत्र प्रारम्भ हुआ । नारायण काजी श्रेष्ठ ने दूसरे दिन प्रस्थान के विषय में कुछ घोषणायें की और उन्होने सभी सहभागियों से अनुरोध किया कि वह कार्य गोष्ठी अवमूल्यन पत्र लौटा दें । फिर उन्होने सहभागियों को कुछ शव्द बोलने के लिये आमन्त्रित किया:

भीम लाल सुवेदी

मै आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस कार्य गोष्ठी का आयोजन किया और हमें अपने विचारों को सबके सामने रखने तथा सबसे बांटने का सुअवसर प्रदान किया । अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओ के अनुभव लेकर हम अब अपने कार्य क्षेत्र में और उत्साह से कार्य कर सकेगे । अन्त में फिर एक बार आयोजकों का धन्यवाद करता हूं ।

डी. ए. रसैली

मैं विभिन्न देशों से आये सभी सहभागियों का तथा नेपाल के विभिन्न भागों से आये सहभागियों का धन्यबाद करता हूं, और सबसे पहले धन्यबाद ICIMOD को, जिसने इस कार्य गोष्ठी का आयोजन किया । मैं ICIMOD से अनुरोध करुंगा कि भविष्य में होने वाली गोष्ठियों में सिक्किम तथा दार्जिलिंग को भी सम्मिलित करें ।

अमान अली शाह

मैं सभी सहभागियों का अभिनन्दन करता हूं और सबको आयोजकों सहित धन्यबाद करता हूं । जब मैं पहले यहां आया तो मुझे कुछ अटपटा लगा प्रत्येक अलग ढंग से व्यवहार कर रहा था लेकिन कुछ दिन में मुझे लगा कि हम सब जैसे एक परिवार के सदस्य हैं । मैं अपने दिल से कह रहा हूं कल यहां से जाना बहुत ही दुखदपूर्ण होगा । जब मैने सबकी समस्यायें सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ मैने सोचा कब तक आखिर ये समस्यायें चलेंगी । परन्तु जब हम मन्दिर में गये और गाना गाया तब कही मेरा मन कुछ हल्का हुआ । मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हम सब एक हो जायेंगे विश्व के मानव एक होंगे । जब भाषा तथा अन्य दीवारे टूट जायेंगी और हम मानवता के विकास के लिये आगे बढेंगे । मै इसी के साथ विदा लेता हूं ।

एच. पी. न्यौपाने

मै ICIMOD, FTPP और WATCH को धन्यबाद करना चाहता हूं जिन्होनें इस कार्य गोष्ठी का आयोजन किया । मैं अपने भूटान, भारत, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान से आये भाई बहनों को सदैव याद रखुंगा । सभी सहभागियों के साथ विछुडना निश्चय ही दुख भरा है । मैं आयोजकों से अनुरोध करुंगा कि वह जल्दी ही और कार्य गोष्ठी का आयोजन करें ।

इस कार्य गोष्ठी का मुख्य ध्येय हैं एक दूसरे के विचारो को ग्रहण करके, उन्हें गांवों में तथा उपभोक्ता समूहों ने कार्यान्वित करना । हमें अपने अपने मतभेद छोडकर एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण करना चाहिये । जो इन कार्यक्रमों का विरोध करते हैं, हमें उनका वहिष्कार करना चाहिये । पहले हमें स्वंय तैयार होना हैं फिर दूसरों को तैयार करना है । हमें लोगों के अधिकारों के लिये मिलकर कार्य करना है । एक बार फिर मैं सभी सहभागियों का धन्यबाद करता हूं ।

अनुपम भाटिया

मै रिर्पोटिंग के बारे में कुछ कहना चाहुंगा । सारे रिर्पोटर एवं प्रत्येक सहभागी के लेख, पत्रों को एक महीने के अन्दर इकट्ठा किया जायेगा । फिर हम आपको इस कार्य गोष्ठी का सारांश भेज देंगे । इस कार्य गोष्ठी का वृतान्त तीन भाषाओं में होगा हिन्दी, अंग्रजी और नेपाली । अगर इसमें कोई कमी या त्रुटि हो तो उसे सुधार कर भेज दें । हमारे दोस्त एक विडियो फिल्म भी बना रहे हैं । ICIMOD की और से मैं प्रत्येक सहभागी जिसने इसमें भाग लिया है, धन्यबाद करता हूं । हमें यह याद रखना है कि यह कार्य गोष्ठी लोगों के विकास की राह में एक संयुक्त कदम हैं । हम सबका लक्ष्य एक ही है । अब हम वही गाना गायेगे जिसे गाकर हमने इसे शुरु किया था उसी से अन्त करेंगे ।

कार्य गोष्ठी का अन्त "हम होगें कामयाब" को तीन भाषाओं में गाकर किया गया और इस तरह यह प्रथम क्षेत्रीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्य गोष्ठी समाप्त हुई ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

मई २१, १९९५, इतवार	पंजीकरण, परिचय, पोष्टर की तैयारी दृश्यावलोकन
मई २२, १९९५, सोमवार	प्रारम्भिक सभा सत्र चार अन्तर्देशीय कार्य समूह अनौपचारिक उद्घाटन
मई २३, १९९५, मंगलबार	औपचारिक उद्घाटन पोष्टर प्रदर्शन सभा में कार्य समूह की प्रस्तुति देशीय कार्य समूह अर्न्तवार्ता सडक नाटक प्रदर्शन
मई २४, १९९५, बुधवार	दो सामुदायिक वन क्षेत्रों में भ्रमण और गोदावरी स्थित इसिमोड के क्षेत्रों का भ्रमण
मई २५, १९९५, बृहस्पतिवार	देशीय कार्य समूह की अन्तवार्ता देशीय कार्य समूह की प्रस्तुति फिलिपिन्स, थाईलैण्ड, भूटान, और पाकिस्तान, नेपाली संगीत संध्या
मई २६, १९९५, शुक्रवार	देशीय कार्य समूह प्रस्तुति भारत, नेपाल संयुक्त कार्य समूह सत्र • समूह की वकालत के लिये रणनीति । नेटवर्क के लिये रणनीतियाँ • प्राकृतिक संसाधनों में महिलाओं की निर्णय क्षमता बढाने के लिये रणनीति • स्थानीय संस्थाओं को मजबुत बनाने के लिये रणनीति संस्थाओं का स्थायित्व • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण • नीति, कानून, नियम, तथा विधान में उन्नति लाने के लिये रणनी
मई २७, १९९५, शनिवार	पूर्ण सत्र - बिचार बिमर्श देशीय कार्य योजना की तैयारी देशीय कार्य योजना की प्रस्तुति महिलाओं के क्षेत्रीय नेटवर्क से संबंधित बिचार बिमर्श नेपाली संगीत संध्या
मई २८, १९९५, इतवार	अन्तिम सभा सत्र सहभागीओं का प्रस्थान

परिशिष्ट ३

सहभागीयों की नामावली

नेपाल

१. श्री दिलीप कुमार अधिकारी
अध्यक्ष, कपिलाकोट वन उपभोक्ता समूह
धमिले, धमिलेपोस्ट,
सिन्धुली, नेपाल

२. सुश्री देवी अधिकारी
अध्यक्ष, ग्रामीण महिला श्रृजनाशील परिवार
पांग्रेटार वी. डी. सी. १ धुसिने,
सिन्धुपाल्चौक, नेपाल

३. श्री कृष्ण राम अधिकारी
अध्यक्ष, सिरन्डांडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
वेगनास वी. डी. सी. ५, पोखरा,
कास्की द्वारा केयर नेपाल,
नेपाल

४. सुश्री सुभद्रा अधिकारी
उपाध्यक्ष, कालोमुधो अधिकारी सामुदायिक वन उपभोत्त,ा समूह
वेगनास वी. डी. सी. ७ कालीमाटी द्वारा केयर
पोखरा, कास्की, नेपाल

५. टीका बहादुर आले
अध्यक्ष, धुसा विकास समाज
बुद्धाप धुषा वी. डी. सी. २
पो.आ. छारौन्डी,
धादिंग, नेपाल

६. यम बहादुर आले
अध्यक्ष, काईदिम वन उपभोक्ता समूह
व्यास नगर पालिका २
तनहुं, नेपाल

७. अनिल भट्टराई
गुजां नगर
चितवन, नेपाल

८. नील प्रसाद भन्डारी
अध्यक्ष, थोकरपा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
थोकरपा
सिन्धुपाल्चौक, नेपाल

९. पीताम्बर भन्डारी
जैमिरे अम्बुता वन उपभोक्ता समूह
ग्रुप किडल वी. डी सी.
सिन्धुपालचौक, नेपाल

१०. ज्ञान कुमारी भुजेल
सदस्य, नागीडांडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

ठूलोछाप
वी. डी. सी. ४
निसुन्के धारापानी
ओखलढुंगा, नेपाल

११. लाल भुमजन
अध्यक्ष, समीखेल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
छैमले
वी. डी. सी. ५
भण्डार खर्क
काठमाडौं, नेपाल

१२. बद्री प्रसाद चौलांगाई
भोटेचौर वी. डी. सी.
सिन्धुपालचौक, नेपाल

१३. सिमाई चौधरी
मजेली वी. डी. सी. २
सुन्सरी, नेपाल

१४. सुश्री विष्णु ढकाल
सचिव, शान्ति वन उपभोक्ता समूह
वार्ड - ६ ठाठांपूर
रुपन्देही,
नेपाल

१५. सुश्री भगवती गौतम
सदस्य, बाञ्रापारे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
बाञ्रापारे रवि ओपि वी. डी. सी.
काभ्रे, नेपाल

१६. दीपक गेलाल
सदस्य, बाञ्रापारे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
बाञ्रापारे रवि ओपि वी. डी. सी.
काभ्रे,
नेपाल

१७. देव बहादुर धले
सदस्य, थामडांडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
सिंगा वी. डी. सी. २,
तातोपानी
म्याग्दी, नेपाल

१८. कुशल गिरी
तुलसीपुर नगर पालिका २
तुलसीपुर, दांग, नेपाल

१९. धनेन्द्र काफ्ले
नेपाल यू. के. सामुदायिक वन परियोजना
काठमाडौं, नेपाल

२०. गणेश बहादुर कार्की
अध्यक्ष, सल्लेरी वन उपभोक्ता समूह
मागापावा वी. डी. सी. ४, कार्की टोल
दोल्खा, नेपाल

२१. सुश्री शर्मिला कटवाल
सदस्य, ठुलोछाप वी. डी. सी. ६
निसुन्के, ओखलढुंगा, नेपाल

२२. मीना खडका
सदस्य, दवारतासी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
मजडांडा वी. डी. सी. १,
पोखरा, कास्की, नेपाल

२३. सुश्री लक्ष्मी देवी खटिवाडा
उपाध्यक्ष, मालती महिला वन उपभोक्ता समूह
भौली मोहनपूर, बगदुआ ७
सप्तरी, नेपाल

२४. सुश्री कमला लामिछाने
केयर नेपाल
महोत्तरी विष्णु ढकाल, मोतीपुर
रुपनदेही, नेपाल

२५. कपिल मैनाली
सचिव, कन्काई सामुदायिक वन
सुरंगा, झापा, नेपाल

२६. नन्द लाल माझी
सदस्य, अनुसूचित सभा सुधार केन्द्र
दुहबी ३, सुन्सरी
नेपाल

२७. हरि प्रसाद न्यौपाने
सदस्य, आहाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
बोखिम, नेपाल

२८. सुश्री मैना पौडयाल
सदस्य, बाज्रापारे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
बाज्रापारे रवि ओपी वी. डी. सी.
काभ्रे, नेपाल

२९. राजेन्द्र पोखरेल
सल्लाहकार, कन्काई सामुदायिक वन
सुरंगा, झापा, नेपाल
फोन नं.- ०१३,२०२०४

३०. दिनेश पोखरेल
अध्यक्ष, रिपा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
जैशीथोक वी. डी. सी. १, रौतडी, धुरकोट
गुल्मी, नेपाल

३१. सुश्री पदमा सग्रोंला
यकुम्बा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
अथराई, संक्रान्ति ८
तेहराथुम, नेपाल

३२. कमला देवी शर्मा
सदस्य, पहाटकट वन उपभोक्ता समूह
जैदी वी. डी. सी. २
बागलुङ., नेपाल

३३. राधा श्रेष्ठ
सदस्य, बुद्धिखोरिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
चिसापानी ६, मन्थली
रामेछाप, नेपाल

३४. भीम प्रसाद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, ओखलढुगां ५
राम बजार, ओखलढुगां, नेपाल

३५. खगेन्द्र सिगदेल
स्विस विकास समिति
एकान्तकुना, जावलाखेल, ललितपुर
पो. बा. ११३, नेपाल

३६. ठूली सिगदेल
पन्धेरी डांडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
छैमाले वी. डी. सी. ४, भन्दुर खारका
काठमाडौं, नेपाल

३७. हुकुम बहादुर सिंह
नेपाल आस्ट्रेलिया सामुदायिक वन परियोजना
पो. ब. २०८,
काठमाडौं, नेपाल
५२७२२४, ५२४७२५

३८. उमा प्रसाद सितौला
अध्यक्ष, कन्काई सामुदायिक वन
सुरंगा, झापा, नेपाल

३९. भीम लाल सुवेदी
अध्यक्ष, घोन्गखोला वन उपभोक्ता समूह
वालिंग वार्ड- ३
स्यांग्जा, नेपाल

४०. हेम कला सुवेदी
सदस्य, मजाउ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
मौली मोहनपूर, बाग्दुआ ७
सप्तरी, नेपाल

४१. कृष्णा सुवेदी
सचिव, घोन्गखोला वन उपभोक्ता समूह
वालिंग वी. डी. सी. ३, धापखोला
स्यांग्जा, नेपाल

४२. प्रेम बहादुर थापा
कल्पवृक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
सिन्धुली, नेपाल

४३. दीपक थापा
सचिव, ज्यालाछिटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
ताऊखाल, वी. डी. सी.
काभ्रे, नेपाल

४४. राम नारायण यादव
बस्तु, तुलसीपुर नगरपालिका ५
दांग, नेपाल

भारत

४५. राजीव अहल
कुटुम्ब टीका आइमा
पालमपुर जिला कागडा हि. प्र.,
भारत १७६०६१
फोन ०१८९४-३०८१३

४६. कमलाबेन भगोरा
पो . बां.गांव वेजपुर भिलोडाताल
जिला-साबरकान्ता
गुजरात, भारत

४७. चन्डी प्रसाद भट्ट
गोपेश्वर, जिला चमोली
उत्तर प्रदेश, भारत
२४६४०१

४८. जेफ़ ब्राई. कैम्पवेल
फोर्ड फाउन्डेशन, ५५ लोदी स्टेट
नई दिल्ली ११०००३
भारत

४९. किन्करी देवी
गांव सन्ग्राहा
जिला कांगडा हि. प्र.
भारत १७३०२३

५०. कृष्णा देवी
महिला मन्डल दल
पिल्खी पो. ब. ग्वाना वाया
जोशी मठ, चमोली
उत्तर प्रदेश, भारत

५१. नीमू देवी
द्वारा "सोसाइटी फर एडवान्समेन्ट आफ विलेज एकोनोमी"
वि. पि. ओ. सैन्ज
जिला कुल्लु
हिमाचल प्रदेश, भारत

५२. हेमा काला
द्वारा "सोसाइटी फर रुरल डिवेलपमेन्ट एन्ड एक्शन"
गांव थलतुकथर, जिला मन्डी
हिमाचल प्रदेश, भारत

५३. श्रीमती कलावती
गांव बछेर, जिला चमोली
उत्तर प्रदेश, भारत

५४. रुचिरा गुप्ता
२।१४ शान्ति निकेतन
नई दिल्ली-२१, भारत

५५. डी. एस. रसैली और श्रीमती रसैली
फेडरेशन आफ सोसाइटीज फार एनवाइसमेन्ट प्रोटेक्शन (पर्यावरण संरक्षण समाज संगठन)

६२२ कार्ट रोड, वुडलैन्डस
छोटा ककझोरा, दार्जिलिंग
बंगाल, भारत
७३४१०१

५६. खान्तीभाई खराडी
गांव भालेपूर
पो. आ. वेजपूर, भलोडा तेलुका
जिला साबरकान्ता
गुजरात। भारत

५७. मुरारी लाल
सर्वोदय, गांव पिपरियां
पो. आ. गोपेश्वर
चमोली, उत्तर प्रदेश,
२४६४०१ भारत

५८. सुभाष मेन्धुपुरकर
SUTRA पो. आ. जगजीत नगर
वाया जब्बेर हि. प्र.
भारत, १७३२२५
फोन ११,१७९३ - ८७२५ - ८७३४

५९. एम. डी. मिस्त्री
दिशा १।११ २९ कामदार बिल्डिंङ्ग
गार्डन एरिआ, हिम्मत नगर
जिला साबरकान्ता, गुजरात
भारत ३८३००१
फोन (०२७७२) २२१९०

६०. जी. राजू (VIKSAT)
विकसात
थालतेज टेक्रा, अहमदाबाद
३८००५२ भारत

६१. झालाभाई राथवी (VIKSAT)
थालतेज टेक्रा, अहमदाबाद
३८००५२ भारत

६२. आसीस कुमार शाहा
आचार्य जगदीश चन्द्र बोस वृक्ष मित्र संघ
गांव तथा पो. आ. रुदिजाला
जिला त्रिपुरा
भारत ८९९११५

६३. सुबोध रजन सुर
सचिव, आचार्य जे. सी. बोस वृक्ष मित्र संघ
वी. पी. ओ. रुदिजाला
जिला त्रिपुरा
भारत ८९९११५

६४. उर्मिला बेन तबियार
गांव तथा पो. आ. रामपुरी
भिलोडा तालुका
जिला साबरकान्या, गुजरात
भारत

६५. कुलभूषण उपमन्यु
गांव कमला
पो. आ. गरनोता
जिला चम्बा हि. प्र.
भारत १७६२०७

६६. कुलदीप वर्मा
पिपल्स एक्शन फोर पिपल इन नेपाल (PAPN)
अन्केरी, जिला सिरमोर हि. प्र.
भारत १७३०२३
फोन ०१७०२-८१५८

पाकिस्तान

६७. दिलशाद बेगम
AKRSP पो. बा. ५०६
बाबर रोड, गिलगित NAS
पाकिस्तान

६८. अली गौहर
AKRSP पो. बा. ५०६
बाबर रोड, गिलगित NAS
पाकिस्तान

६९. दर - ए - मारजन
द्वारा AKRSP पो. बा. ५०६
बाबर रोड, गिलगित NAS
पाकिस्तान

७०. अमान अली शाह
द्वारा AKRSP पो. बा. ५०६
बाबर रोड, गिलगित NAS
पाकिस्तान

७१. सोसन कुर्बान
AKRSP पो. बा. ५०६
बाबर रोड, गिलगित NAS
पाकिस्तान

भूटान

७२. डेनिस एफ. डेसमन्ड
यू. ए. वी. पी.
पो. बा. १६२
थिम्पू, भूटान
फोन ९७५ - २ - २३१३८

थाईलैण्ड

७३. भूमपेन कियोवान
दि कोस्टल प्रोविन्स रिवाइवल
प्रोजेक्ट, १८ सोई मोन्टी
पेटकास्म रोड, जिला, भुआग
फांग गांप्रान्त ८२०००
थाईलैण्ड

७४. पियरमसाक मकराभिरोम
डिविजन आफ कम्यूनिटी फरेष्ट्री
रोयाल फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट
बैकांक १०९००
फोन ५७९५४१६

७५. डिन सिग्टों
१५६ मू. ३ लामसाक
जिला औलक
करावी प्रान्त ८१११
थाईलैण्ड

फिलीपिन्स

७६. जार्ज पैग्लिनवान
CENPECS
पो. बा. ६९३
८१०० तागुंम
डेल नोर्टे
फिलीपिन्स
फोन ६३ - ०८४२१ - २८७८२

७७. फेलीसिमा पिआला
CENPECS सेथ्स ६९३
८१०० तागुंय डेल नोर्टे
फिलीपिन्स
फोन ६३ - ०८४२१ २८४७८२

स्रोत

७८. जुडी एमटजिस
पो. बा. २६३३
काठमाडौं, नेपाल
फोन ४१४३०३

७९. किरन बस्नेत
जय बागेश्री
काठमाडौं, नेपाल
फोन ४७६५०७

८०. शशी खडगी
कुम्बेश्वर २२।४७

ललितपूर काठमाडौं, नेपाल
फोन ५२२२७१

८१. निवेदिता मिश्रा
शिक्षिका, संस्कृत विभाग
पदम कन्या कैम्पस
बाग बजार, काठमाडौं, नेपाल
फोन २२६७१३

८२. त्रिभुवन पौडेल
द्वारा गिरधारी शर्मा पौडेल
फैमली प्लानिग एसोसियेशन आफ नेपाल
पुल्चौक, ललितपूर, नेपाल

८३. राजीव सिंह
पो. बा. १५४५
पुल्चौक, काठमाडौं, नेपाल
फोन ५२६७१७

WATCH

८४. काजी नारायण श्रेष्ठ

८५. मीना पौडयाल

दीवार पत्र तथा संचार

८६. ध्रुव बस्नेत
थापाथली
पो. बा. ५१४३
फोन २३१९९१, २२७६९१

८७. मोहन विष्ट

८८. प्रमेश भन्डारी

८९. रमेश धमाला

९०. हस्ता गुरुङ्ग

ICIMOD

९१. अनुपम भाटिया

९२. समीर कार्की

९३. रीता राणा

९४. गोबिन्द श्रेष्ठ

ICIMOD

Founded out of widespread recognition of degradation of mountain environments and the increasing poverty of mountain communities, ICIMOD is concerned with the search for more effective development responses to promote the sustained well being of mountain people.

The Centre was established in 1983 and commenced professional activities in 1984. Though international in its concerns, ICIMOD focusses on the specific, complex, and practical problems of the Hindu Kush-Himalayan Region which covers all or part of eight Sovereign States.

ICIMOD serves as a multidisciplinary documentation centre on integrated mountain development; a focal point for the mobilisation, conduct, and coordination of applied and problem-solving research activities; a focal point for training on integrated mountain development, with special emphasis on the assessment of training needs and the development of relevant training materials based directly on field case studies; and a consultative centre providing expert services on mountain development and resource management.

ICIMOD Workshops

ICIMOD Workshops are attended by experts from the countries of the Region, in addition to concerned professionals and representatives of international agencies. Professional papers and research studies are presented and discussed in detail.

Workshop Reports are intended to represent the discussions and conclusions reached at the Workshop and do not necessarily reflect the views of ICIMOD or other participating institutions. Copies of the reports, as well as a Catalogue of all of ICIMOD's Publications, are available upon request from:

Documentation, Information, and Training Service (DITS)
International Centre for Integrated Mountain Development
G.P.O. Box 3226
Kathmandu, Nepal

Participating Countries of the Hindu Kush-Himalayan Region

- Afghanistan
- Bhutan
- India
- Nepal
- Bangladesh
- China
- Myanmar
- Pakistan

INTERNATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED MOUNTAIN DEVELOPMENT (ICIMOD)

4/80 Jawalakhel, G.P.O. Box 3226, Kathmandu, Nepal

Telephone: (977-1) 525313
Facsimile: (977-1) 524509
(977-1) 536747

Cable: ICIMOD NEPAL
email: dits@icimod.org.np